

लोक सभा

समाचार - भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 31 जनवरी, 2024 / 11 माघ, 1945 (शक)

संख्या 266

अपराहन 12.57 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराहन 12.58 बजे

2*. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

माननीय अध्यक्ष ने नियम 384 में छूट देते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के स्थान के रूप में लोक सभा कक्ष का उपयोग किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में टिप्पणी की ताकि दोनों सभाओं के सभी सदस्य बिना किसी कठिनाई के राष्ट्रपति के अभिभाषण में उपस्थित हो सकें।

अपराहन 12.58 बजे

3. राष्ट्रपति का अभिभाषण - सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 31 जनवरी, 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 12.59 बजे

4. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री भद्रेश्वर तांती, आठवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री सोनावणे प्रताप नारायणराव, पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

5. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री सुनील कुमार सिंह ने विशेषाधिकार समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 1.01 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 1 फरवरी, 2024 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 1 फरवरी, 2024 / 12 माघ, 1945 (शक)

संख्या 267

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने बजट दस्तावेजों की उपलब्धता और उनके वितरण के बारे में घोषणा की।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. अंतरिम केन्द्रीय बजट - 2024-2025

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

पूर्वाह्न 11.58 बजे

3. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अधीन सभा पटल पर रखे गए विवरण

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अधीन निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण; और

(दो) वृहत-आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. **सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित**

वित्त विधेयक, 2024

पूर्वाहन 11.59 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 2 फरवरी, 2024 / 13 माघ, 1945 (शक)

संख्या 268

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 7 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 8 से 20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.05 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 32 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय, वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2023, जो दिनांक 27 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 560(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (समितियों की संरचना और कृत्य) नियम, 2023, जो दिनांक 4 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 717(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (माध्यस्थम का संचालन) विनियम, 2023, जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. ए-60011/96/2023-प्रशासन (एआर)-IIएसी में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की रीति और शक्तियां तथा कृत्य) विनियम, 2023, जो दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. ए-60011/117/2023-प्रशासन (एआर)-IIएसी में प्रकाशित हुए थे।
- (2) (एक) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (तीन) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप के वर्ष 2022-2023 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) चेन्नई पत्तन प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चेन्नई पत्तन प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) यंत्र इंडिया लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) यंत्र इंडिया लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडिया ओपटेल लिमिटेड, देहारादून के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) इंडिया ओपटेल लिमिटेड, देहारादून का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 से 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 से 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त मद सं (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राजकुमार रंजन सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद् अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत भारतीय वैश्विक परिषद्, भर्ती (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 7 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. आईसीडब्ल्यूए/प्रशा./551/10/2023 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय वैश्विक परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय वैश्विक परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय वैश्विक परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (सामान्य) विनियम, 2023 जो दिनांक 4 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 1-93/2023-एनसीएच में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी में चिकित्सा अनुसंधान) विनियम, 2023 जो दिनांक 4 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 3-36/2021/एनसीएच/एचईबी/आर.सी. में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी में राष्ट्रीय परीक्षाएं) विनियम, 2023 जो दिनांक 28 नवंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 3-104/2023/एनसीएच/एचईबी/परीक्षा विनियम में प्रकाशित हुए थे।
- (2) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (एक) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (सामान्य) विनियम, 2023 जो दिनांक 6 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एसईसी/एनसीआईएसएम/विनियम/2023-1 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (विशेषज्ञों और पेशेवरों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2023 जो दिनांक 6 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एसईसी/एनसीआईएसएम/ विनियम/2023-1 में प्रकाशित हुए थे।
- (3) (एक) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय महिला संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 की धारा 29 के अंतर्गत आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एल-12015/18/2021-एस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) पश्चिम बंगाल राज्य में बाल संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के विशेष प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 05 दिसम्बर, 2023 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् सत्रहवीं लोक सभा के चौदहवें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 8 विधेयक सभा पटल पर रखे:-

1. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023;
2. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2023;
3. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2023;
4. डाकघर विधेयक, 2023;
5. केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023;
6. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023;
7. अनन्तिम कर संग्रहण विधेयक, 2023; और
8. प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023.

(दो) महासचिव ने संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 11 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखी:-

1. जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023;
2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023;

3. केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023;
4. निरसन और संशोधन विधेयक, 2023;
5. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023;
6. संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023;
7. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा (संशोधन) विधेयक, 2023;
8. दूरसंचार विधेयक, 2023;
9. भारतीय न्याय संहिता, 2023;
10. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; और
11. भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023.

5. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव ने प्राक्कलन समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) के निष्पादन की समीक्षा' विषय के बारे में 32वां प्रतिवेदन।
- (2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) के अंतर्गत हरित राजमार्ग सहित विभिन्न परियोजनाओं का आकलन' विषय के बारे में 33वां प्रतिवेदन।
- (3) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति का मूल्यांकन' विषय के बारे में समिति के 26वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.09 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री; तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) ने 'आयुष कॉलेजों के आंकड़े' के बारे में श्रीमती क्वीन ओझा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1109 के 08.12.2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और विलंब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (3) महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के 350वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 17वीं लोक सभा के 15वें सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

8. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल के लिए एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. मनसुख मांडविया ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6(3) के साथ पठित धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन, श्री उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने 6.12.2023 से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.13 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- 1) श्री नामग्याल जामयांग शेरिंग द्वारा जम्मू-कश्मीर में राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा जारी एसआरओ को वापस लिए जाने और लद्दाख में वन्य जीव अभयारण्यों के सीमांकन के बारे में।
- 2) श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के वेरावल (सोमनाथ) और महाराष्ट्र के बांद्रा के बीच दैनिक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 3) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा अयोध्या में नये अवकाश गृह, अतिथि गृह एवं टूरिंग ऑफिसर्स हॉस्टल का निर्माण किए जाने के बारे में।
- 4) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के कैमूर जिले में तेलहर कुंड के पानी को जगदहवा बांध तक पहुँचाने के लिए सिंचाई परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 5) डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड के गोड्डा/देवघर में सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने के बारे में।
- 6) श्री राजू बिष्ट द्वारा दार्जिलिंग के लोगों की मांगों के संवैधानिक समाधान के बारे में।
- 7) श्री रवि किशन शुक्ला द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) की स्थापना किए जाने के बारे में।
- 8) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई गारंटीशुदा पेंशन योजना शुरू किए जाने के बारे में।
- 9) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत छतों पर सौर पैनल लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 10) श्री भोला सिंह द्वारा दिल्ली में डीडीए/सीजीएचएस फ्लैटों में किए गए कथित अवैध विस्तार कार्य के बारे में।
- 11) डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'मसाला पार्क' के पुनर्विकास के बारे में।
- 12) डॉ. शशि थरूर द्वारा तिरुवनन्तपुरम रेल मंडल से गुजरने वाली यात्री रेलगाड़ियों में अनारक्षित और शयन कोचों की संख्या में वृद्धि किए जाने के बारे में।
- 13) प्रोफेसर सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल को मनरेगा का लंबित बकाया जारी किए जाने के बारे में।
- 14) श्री रघु राम कृष्ण राजू कानुमुरु द्वारा रेलगाड़ी संख्या 20833/84 वंदे भारत एक्सप्रेस का आंध्र प्रदेश के ताडेपल्लीगडेम रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 15) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा बिहार के सुपौल जिले को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- 16) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा देश की बुजुर्ग आबादी में मनोभ्रंश (डिमेंशिया) की गस्तता के बारे में।
- 17) श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क संपर्क के बारे में।
- 18) डॉ. गदम रणजीत रेड्डी द्वारा तेलंगाना के विकाराबाद जिले में राडार स्टेशन के निर्माण हेतु स्थल परिवर्तन किए जाने के बारे में।
- 19) श्री चौधरी महबूब अली कैसर द्वारा बिहार के खगड़िया जिले में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में।
- 20) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा देश में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में।
- 21) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा प्रयागराज से दिल्ली के बीच उड़ान सेवाएं प्रारम्भ किये जाने के बारे में।
- 22) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा नन्दुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) के संचालन के बारे में।
- 23) श्री रवनीत सिंह द्वारा पंजाब को देय ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) को तत्काल जारी किए जाने के बारे में।
- 24) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा पृथक बुन्देलखण्ड राज्य के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।
- 25) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा रफीगंज के बरास्ते गया से डालटनगंज तक नई रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 26) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा चेन्नई और वेल्लोर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन संख्या 06034 का तिरुवन्नामलाई तक विस्तार किए जाने के बारे में।

अपराहन 12.14 बजे

10. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा संस्तुत समय : 12 घंटे

लिया गया समय : 8 घंटा 47 मिनट

शेष: 3 घंटा 13 मिनट

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए -

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।’

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने प्रस्ताव का समर्थन किया और वे बोले।

अपराहन 1.49 बजे

तत्पश्चात्, अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

'धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को पेश करने के इच्छुक हैं, तो वे 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं जिनमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई जाएगी जिन्हें वे पेश करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को ही पेश किया गया माना जाएगा, जिनके संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हो गई हैं।

पेश किए गए माने गए संशोधनों की क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची इसके तत्काल पश्चात् सूचना पट्ट पर लगा दी जाएगी। यदि सदस्य सूची में कोई विसंगति पाते हैं, तो वे कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारी के ध्यान में लाएं।"

बीस (6 से 15 और 36 से 45) संशोधन पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री गौरव गोगोई
2. श्री टी.आर.बालू
3. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार
4. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
5. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
6. श्री चंद्र शेखर साहू
7. श्री मलूक नागर
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे

9. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
 10. श्री सुधीर गुप्ता
 11. डॉ. वीरास्वामी कलानिधि
 12. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
 13. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
 14. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
 15. श्री तेजस्वी सूर्या
 16. श्री असादुद्दीन ओवैसी
 17. श्री रामचरण बोहरा
 18. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
 19. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
 20. श्री रमेश बिधूड़ी
 21. श्री भर्तृहरि महताब
 22. श्री विनसेंट एच. पाला
 23. श्री संतोष पान्डेय
 24. श्री अब्दुल खालेक
 25. डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस.
 26. श्री संजय सेठ
 27. श्री गिरीश चन्द्र
 28. सुश्री लॉकेट चटर्जी
 29. श्री जसबीर सिंह गिल
 30. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा
- चर्चा पूरी नहीं हुई।

11*. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का अड़तालीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

रात्रि 9.01 बजे

(लोक सभा सोमवार, 5 फरवरी, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

* रात्रि 8.46 बजे।

लोक सभा

समाचार - भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 5 फरवरी, 2024 / 16 माघ, 1945 (शक)

संख्या 269

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने सम्मानित अतिथि के तौर पर भारत की यात्रा पर आए सूरीनाम गणराज्य की नेशनल असेंबली के चेयरमैन महामहिम श्री मरीनुस बी और उनके साथ आए संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों के स्वागत की घोषणा की।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम डॉ. हेज जी. गार्डिंगोब के दुःखद निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण, दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 25 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 26 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

* मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 372 और 374 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 12.01 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 406 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ.5037(अ), जो दिनांक 23 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि कंपनी नामतः श्री नारायणी निधि लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय संख्या 28ए, कमलालयम वडकरई, तिरुवरूर, तमिलनाडु-610002 में है, एक "निधि" होगी, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)74ए/2023, जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या 1-सीए(5)74/2023 का शुद्धिपत्र अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 2 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) कंपनी (निगमन) तीसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 790(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 802(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 801(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) कंपनी (अनुमेय क्षेत्राधिकार में इक्विटी शेयरों का सूचीकरण) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 24 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 61(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) उपर्युक्त 3 की मद संख्या (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के

कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) सीमित देयता भागीदारी (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 644(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सीमित देयता भागीदारी (तीसरा संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 803(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सीमित देयता भागीदारी (महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी) नियम, 2023 जो दिनांक 9 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 832(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2024, जो दिनांक 12 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-3(2)/आरईजीएल-जीईएन(संशोधन)/2024/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ध और 38न के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) का.आ. 5254(अ) जो दिनांक 14 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1403(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 19 सितम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4101(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (दो) का.आ. 4100(अ) जो दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1403(अ) में कतिपय संशोधन किए गए।
- (2) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 53 की उप-धारा(2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 757(अ), जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिसको जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध, जहां तक वे वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के संबंध में उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 21 और उसकी प्रविष्टियों से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4669(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 18 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 677(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 36(अ), जो दिनांक 5 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2003 की अधिसूचना संख्या का.आ. 489(अ) में कतिपय संशोधन किए गए, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (6) (एक) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023, जो दिनांक 29 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारत प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) नीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नीति अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलोर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलोर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) अधिसूचना सं. आईएफएससीए-पीएमटीएस/9/2023-प्रेसियस मेटल्स, जो दिनांक 11 दिसम्बर,

2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी लिमिटेड, गुजरात की बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के रूप में मान्यता के नवीनीकरण को एक वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है, जो बुलियन संविदाओं के संबंध में, उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन दिसम्बर, 2023 के 9वें दिन से शुरू होगी और दिसम्बर, 2024 के 8वें दिन समाप्त होगी।

(दो) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/इंडिया आईएनएक्स/नवीकरण/2023-24, जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड, गांधीनगर-382355 की मान्यता के नवीनीकरण को एक वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है, जो प्रतिभूतियों में अनुबंधों के संबंध में, उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन दिसम्बर 2023 के 29वें दिन से शुरू होगी और दिसम्बर, 2024 के 28वें दिन समाप्त होगी।

(तीन) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/इंडिया आईसीसी/नवीकरण/2023-24, जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन (आईएफएससी) लिमिटेड, गांधीनगर-382355 की मान्यता के नवीनीकरण को एक वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है, जो प्रतिभूतियों में अनुबंधों के संबंध में, उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन दिसम्बर, 2023 के 29वें दिन से शुरू होगी और दिसम्बर, 2024 के 28वें दिन समाप्त होगी।

(9) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (प्राप्ति और भुगतान की रीति) विनियम, 2023 जो 20 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफईएमए14(आर)/2023-आरबी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर ऋण लिखत) संशोधन नियम, 2024 जो 24 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.332(अ) में प्रकाशित हुए थे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) (एक) वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) समग्र शिक्षा तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) समग्र शिक्षा बिहार (बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउन्सिल), पटना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा बिहार (बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउन्सिल), पटना के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), आगरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), आगरा के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), आगरा के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), आगरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), आगरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (सम विश्वविद्यालय), आगरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) (एक) गुरुकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय), हरिद्वार के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गुरुकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय), हरिद्वार के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गुरुकुल कांगड़ी (सम विश्वविद्यालय), हरिद्वार के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भिलाई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भिलाई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई, भिलाई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (7) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (9) (एक) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी (गढ़वाल) के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी (गढ़वाल) के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम, कोट्टायम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोट्टायम, कोट्टायम के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, तिरुपति के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमानी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमानी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (21) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कर्नूल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कर्नूल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कर्नूल के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वडोदरा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, संगरूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) उपर्युक्त (48) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) उपर्युक्त (50) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) उपर्युक्त (52) पर उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) उपर्युक्त (54) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) उपर्युक्त (56) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

- (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) उपर्युक्त (58) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कारवाई ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, रायपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी

- तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (76) उपर्युक्त (75) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (77) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुदुचेरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (88) उपर्युक्त (87) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (89) (एक) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (90) उपर्युक्त (89) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (91) (एक) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (92) उपर्युक्त (91) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (93) (एक) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (94) उपर्युक्त (93) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (95) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (114) उपर्युक्त (113) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (115) (एक) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (116) उपर्युक्त (115) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (117) (एक) तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (118) उपर्युक्त (117) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (119) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ट्विनिंग, ज्वाइंट डिग्री और डुअल डिग्री प्रोग्राम प्रदान करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग) विनियम, 2022 जो 2 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 4-1/2022(आईसी) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (120) उपर्युक्त (119) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (121) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 55 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (एक) राष्ट्रीय आवास बैंक (बंध-पत्रों का निर्गमन और प्रबंधन) विनियम, 1989 जो 31 जुलाई, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.600(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय आवास बैंक (बंध-पत्रों का निर्गमन और प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2001 जो 23 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.554(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) राष्ट्रीय आवास बैंक (बंध-पत्रों का निर्गमन और प्रबंधन) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 10 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.संख्या एनएचबी/आरएमएमडी/बॉर्ड रेगुलेशन/307 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) नेशनल हाउसिंग बैंक (स्लम सुधार और निम्न लागत हाउसिंग निधि) विनियम, 1993 जो दिनांक 8 नवम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 857(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) नेशनल हाउसिंग बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1997 जो दिनांक 11 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.213(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) नेशनल हाउसिंग बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1998 जो दिनांक 30 अक्टूबर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.650(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) नेशनल हाउसिंग बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2007 जो दिनांक 12 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचबी/एसटीएफ/पीओएल/27 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) नेशनल हाउसिंग बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2014 जो दिनांक 19 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. एनएचबी/एसईआर/01/2014 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) नेशनल हाउसिंग बैंक (नामनिर्देशन) विनियम, 2004 जो दिनांक 4 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचबी/एलडी/आरईएस.-407 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) नेशनल हाउसिंग बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2003 जो दिनांक 20 मई, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचबी/डीएचआरडीएण्डए/111 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) नेशनल हाउसिंग बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2013 जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एनएचबी.एचआरडी.पीईएन.01/सीएमडी/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

- (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (अभिकर्ता) संशोधन विनियम, 2023 जो दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एस-11015/01/2019-बीमा-1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन के बारे में सरकारी उद्यम सर्वेक्षण वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2023 को समाप्त तिमाही के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 31.12.2023 को समाप्त तिमाही के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) की मद सं. (ख) और (ग) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क(3) तथा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्ताओं के कमीशन सहित प्रबंधन के व्यय) विनियम, 2024 जो 23 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.

आईआरडीएआई/आरईजी/2/196/2024 में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआरडीएआई/साधारण बीमा/टैरिफ/1/195/2024 जो दिनांक 23 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अग्नि, मोटर और इंजीनियरिंग वर्कमैन का प्रतिकर और अन्य वर्गों के बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सभी टैरिफ उत्पादों में माध्यस्थम खंड विअधिसूचित किया गया है।
- (8) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 11 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/16/05/112/0018/2020-आरईजी-पीओपी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 2 फरवरी, 2024 की अधिसूचना सं. 05/2024- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जिसके द्वारा पेट्रोलियम कूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 1700 रूपए / एमटी से बढ़ाकर 3200 रूपए / एमटी करने के बारे में दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. 18/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक जापन सभा पटल पर रखा।

6. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री हरीश द्विवेदी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) प्रो. संदीप चटर्जी के भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) की सेवाओं से उनके निलंबन के मामले में उचित जांच करने और उसके समाधान में तेजी लाने का अनुरोध करने वाले अभ्यावेदन के संबंध में 62वां प्रतिवेदन।
- (2) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) और मेसर्स डी. के. प्रिंटवर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा श्री गुलाब कोठारी लिखित पुस्तक 'द कॉस्मिक इनफिनिटी - ए वैदिक प्रस्पेक्टिव' के अवैध और अप्राधिकृत प्रकाशन तथा बिक्री के संबंध में तथाकथित अपराधिक षडयंत्र और साहित्यिक चोरी के बारे में श्री राजेश शर्मा के अभ्यावेदन के संबंध में 63वां प्रतिवेदन।
- (3) श्री अनिल हीरालाल शाह ऊर्फ राजू बार्टर, श्री अतुल हीरालाल शाह - 'बार्टर बंधुओं' के नाम से लोकप्रिय, श्री जलज इंद्रसेन बत्रा, श्रीमती अंजू बत्रा, श्री भारत भूषण बत्रा द्वारा श्री संजय अग्रवाल सहित उनके जात और अज्ञात षडयंत्रकारियों के साथ मिलकर की गई तथाकथित गंभीर वित्तीय धोखाधड़ियों, लगातार धन शोधन

और गैर-कानूनी गतिविधियों की गहन जांच प्रारंभ करने के अनुरोध के बारे में श्री चंद्र शेखर के अभ्यावेदन के संबंध में 64वां प्रतिवेदन।

- (4) विशेष रूप से गुवाहाटी में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूको बैंक की ऋण योजनाओं के बारे में ग्राहकों की धारणा और प्रभावोत्पादकता तथा उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री फानी धर दास के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 37वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 65वां प्रतिवेदन।
- (5) टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड द्वारा भुगतान जारी करने का अनुरोध करने वाले श्री उमाकांत मिश्रा के अभ्यावेदन के संबंध में याचिका समिति (17वीं लोक सभा) के 45वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 66वां प्रतिवेदन।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही-सारांश

श्री रामशिरोमणि वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 14.12.2023 को हुई 12वीं बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने 'क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करना' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा 2 फरवरी, 2024 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 48वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.06 बजे

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'प्रशिक्षण महानिदेशालय का कार्यकरण' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल

विकास संबंधी स्थायी समिति के 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'देश में पर्यटन अवसंरचना का विकास' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 331वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 318वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 338वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

11. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र अंतरिम बजट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. अनुदानों की अनुपूरक माँगें (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र)

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. अनुदानों की अनुपूरक माँगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक माँगें - दूसरा बैच को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.08 बजे

14. सरकारी विधेयक- पुरःस्थापित

(एक) लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024

(दो) जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024

अपराहन 12.10 बजे

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- 1) श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय क्षेत्र में एफएम रेडियो प्रसारण फिर से शुरू किए जाने के बारे में।
- 2) डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा बाबा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले को भारत रत्न दिए जाने और सावित्री बाई फुले के जन्मदिन को महिला शिक्षिका दिवस के रूप में मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 3) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान में राज्य राजमार्ग संख्या 26 और 02 को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 4) श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा झुंझुनू जिले को यमुना नहर के ताजेवाला हैड से पानी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 5) श्री सुरेश पुजारी द्वारा संबलपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 6) श्री अनुराग शर्मा द्वारा बंद कमरे में कार्यवाही के बारे में।
- 7) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा गया एवं डालटनगंज के बीच रेलवे संपर्क के बारे में।
- 8) श्री देवेन्द्र सिंह (उर्फ) भोले सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर हवाई अड्डे पर रात्रि लैंडिंग सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 9) श्री संजय सेठ द्वारा राज्यों को डीएमएफटी के तहत आवंटित धनराशि के उपयोग की निगरानी के बारे में।
- 10) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा देवरिया जिला मुख्यालय में रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे गोदाम को जिला देवरिया के अहिल्यापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थानान्तरित किए जाने के बारे में।
- 11) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील द्वारा प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध वापस लिए जाने के बारे में।
- 12) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों की दूरी को न्यूनतम किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 13) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत निधियों के उपयोग के बारे में।
- 14) सुश्री राम्या हरिदास द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को समय पर भुगतान किये जाने के बारे में।
- 15) श्री के. मुरलीधरन द्वारा केरल के वडकारा में इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र का निर्माण किये जाने के बारे में।

- 16) श्री एस. जानतिरावियम द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्ति दिये जाने के बारे में।
- 17) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा मातला स्टेशन पर दो और अप ट्रेनों का ठहराव बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 18) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा डॉक्टरों के हित एवं सुरक्षा हेतु एक व्यापक कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 19) श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा बहराइच-खलीलाबाद नई रेल लाइन परियोजना के निर्माण के बारे में।
- 20) श्री प्रिंस राज द्वारा बिहार के समस्तीपुर में एक रिंग रोड के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।
- 21) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा महाराष्ट्र में किसानों की दुर्दशा के बारे में।
- 22) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के बारे में।
- 23) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्टेडियम की स्थापना किए जाने के बारे में।
- 24) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा ओडिशा के कालाहांडी जिले में ओडिशा उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच और भवानीपटना में भारतीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना किए जाने के बारे में।
- 25) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा देश में इकलौती बालिका संतान के कल्याण के लिए व्यापक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 26) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा मगही भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.10 बजे

16. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव- स्वीकृत

आबंटित समय: 12 घंटे

लिया गया समय : 15 घंटा 28 मिनट

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा 2 फरवरी, 2024 को पेश किए गए और प्रो. एस.पी. सिंह बघेल द्वारा समर्थन किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए -

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।’

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
2. डॉ. सत्यपाल सिंह
3. श्री बैन्नी बेहनन
4. डॉ. आलोक कुमार सुमन
5. श्रीमती शताब्दी राय
6. श्री पी.पी. चौधरी
7. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
8. श्री हसनैन मसूदी
9. श्री जगदम्बिका पाल
10. श्री जयदेव गल्ला
11. डॉ. एस.टी. हसन
12. श्री बृजेन्द्र सिंह
13. श्री अरविंद सावंत
14. * श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल
15. * श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़
- 16.* श्री विष्णु दयाल राम
- 17.* डॉ. संघमित्रा मौर्य
- 18.* श्री वी.के. श्रीकंदन
- 19.* श्री कृष्ण पाल सिंह यादव
- 20.* श्री संगम लाल गुप्ता
- 21.* श्री राहुल कस्वां

- 22.* श्री सी. एन. अन्नादुरई
- 23.* श्री पी.आर. नटराजन
- 24.* श्री ए. गणेशमूर्ति
- 25.* श्री राजू बिष्ट
- 26.* श्री अरुण कुमार सागर
- 27.* श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
- 28.* श्री राजेश नारणभाई चुडासमा
- 29.* श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
- 30.* श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल
- 31.* श्री मोहनभाई कल्याणभाई कुंडारिया
- 32.* श्रीमती गीताबेन वाजेसिंहभाई राठवा
- 33.* श्रीमती रमा देवी
- 34.* डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
- 35.* एडवोकेट अदूर प्रकाश
- 36.* श्री गोपाल चिनेय्या शेटी
- 37.* डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
- 38.* डॉ. उमेश जी. जाधव
- 39.* श्री सुरेश कश्यप
- 40.* श्रीमती रंजीता कोली
- 41.* श्री निहाल चन्द
- 42.* श्री पशुपति नाथ सिंह
- 43.* डॉ. मोहम्मद जावेद
- 44.* श्री बिद्युत बरन महतो
- 45.* श्री मितेष रमेश भाई (बकाभाई) पटेल

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- 46.* श्री नारणभाई काछडिया
 47.* श्री सिमरन जीत सिंह मान
 48.* श्री पी.सी. मोहन
 49.* श्री के. नवासखनी
 50.* डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
 51.* श्री सुनील कुमार सिंह
 52.* श्री डी. एम. कथीर आनन्द
 53.* श्रीमती अपरूपा पोद्दार
 54.* डॉ. मनोज राजोरिया
 55.* श्री सुमेधानन्द सरस्वती
 56.* श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे
 57.* श्री विनोद चावड़ा
 58.* श्री देवजी एम. पटेल
 59.* श्री अशोक महादेवराव नेते
 60.* श्री कुलदीप राय शर्मा
 61.* श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
 62. श्री के. सुब्बारायण
 63. श्री राजमोहन उन्नीथन
 64. डॉ. ढालसिंह बिसेन
 65. श्री नामा नागेश्वर राव
 66. श्री एन. रेड्डप्प
 67. श्री प्रतापराव जाधव
 68. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
 69. श्री पी. रविन्द्रनाथ

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

70. श्री गणेश सिंह
71. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
72. श्री नव कुमार सरनीया
73. डॉ. लोरहो एस. फोज़
74. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
75. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
76. श्री अधीर रंजन चौधरी
77. श्री सतीश कुमार गौतम
- 78.* श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
- 79.* श्री रामशिरोमणि वर्मा
- 80.* श्रीमती संगीता आज़ाद
- 81.* श्री शंकर लालवानी
- 82.* श्री रितेश पाण्डेय
- 83.* श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा
- 84.* श्री अशोक कुमार रावत

श्री नरेन्द्र मोदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

17. अध्यक्षपीठ द्वारा *घोषणा

अध्यक्षपीठ ने जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 में संशोधन की सूचनाएं दिए जाने के संबंध में घोषणा की।

सायं 6.52 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 6 फरवरी, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

* अपराह्न 12.39 बजे। मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 6 फरवरी, 2024 / 17 माघ, 1945 (शक)

संख्या 270

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 46 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 47 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक

लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत असम राइफल्स नायब सूबेदार (साइफर), समूह 'ख', गैर-राजपत्रित, अननुसचिवीय (योद्धक) पद, भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 21 अक्टूबर, 2023 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 149 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (मोटर परिवहन) तकनीकी संवर्ग, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 22 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 857(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक उप-निरीक्षक (दर्जी) ट्रेड्समेन संवर्ग, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 24 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 865(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) (एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 5491(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में लखबीर सिंह उर्फ लंदा का नाम जोड़ा गया है।

(दो) का.आ. 02(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में सतविंदर सिंह उर्फ सतिन्दरजीत सिंह उर्फ गोल्डी

बरार का नाम जोड़ा गया है।

- (6) (एक) कोइलीशन फॉर डिसास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कोइलीशन फॉर डिसास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (एक) सा.का.नि. 902(अ) जो दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कतिपय जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवम्बर, 2023 के महीने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख के विस्तार को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) का.आ.5483(अ) जो दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय उक्त अधिनियम की धारा 168ए के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में विनिर्दिष्ट अनुपालनों की तारीखों को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 30(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय तमिलनाडु के कतिपय जिलों में पंजीकृत व्यक्तियों के लिए नवम्बर, 2023 के महीने के लिए फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख के विस्तार को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 31(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) का.आ.84(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय दिनांक 31 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 30/2023-केंद्रीय कर को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) का.आ.85(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय कतिपय वस्तुओं के निर्माण में लगे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पालन की जाने वाली विशेष प्रक्रिया को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि.39(अ), जिसका आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करके 18.01.2024 से शीरे के निर्यात पर 50 प्रतिशत के निर्यात शुल्क को विहित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, तंजावुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

- (दो) जम्मू और कश्मीर बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 5415(अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसका आशय उसमें उल्लिखित सदस्यों युक्त केंद्रीय उर्वरक समिति का गठन करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) *कीटनाशी (सातवां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 921(अ) में प्रकाशित हुए थे।*
- (दो) *कीटनाशी (पहला संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 12 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (3) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) द रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) द रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड, कोल्लम का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) महिला समुदाय प्रबंधन समूह, खुर्धा, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समुदाय प्रबंधन समूह, खुर्धा, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) विकलांग और पिछड़े लोगों के लिए संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विकलांग और पिछड़े लोगों के लिए संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) भैरबी क्लब, खुर्धा, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भैरबी क्लब, खुर्धा, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सामाजिक और स्वास्थ्य विकास संगठन, पश्चिम इम्फाल, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सामाजिक और स्वास्थ्य विकास संगठन, पश्चिम इम्फाल, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) नॉर्थ बंगाल हैंडीकेप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 के

- वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ बंगाल हैंडीकैप्ड रिहैबिलिटेशन सोसाइटी, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) दुर्गाबाई देशमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र (आंध्र महिला सभा), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दुर्गाबाई देशमुख व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास केंद्र (आंध्र महिला सभा), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) पीएडबल्यूएमईएनसीएपी (मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए मूल संघ), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पीएडबल्यूएमईएनसीएपी (मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए मूल संघ), हैदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) सेंट एन्स सोशल सर्विस सोसाइटी, कुरनूल, आंध्र प्रदेश द्वारा संचालित सेंट एन्स मनोविकास केंद्र के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट एन्स सोशल सर्विस सोसाइटी, कुरनूल, आंध्र प्रदेश द्वारा संचालित सेंट एन्स मनोविकास केंद्र के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) होली क्रॉस सोशल सर्विस सोसाइटी, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) होली क्रॉस सोशल सर्विस सोसाइटी, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) संजोस वेलफेयर सेंटर, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संजोस वेलफेयर सेंटर, कोट्टायम, केरल के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) एजूकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थॉबल, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एजूकेशनल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, थॉबल, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) इम्फाल गार्जियन सोसायटी, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इम्फाल गार्जियन सोसायटी, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पुअर एंड लेबरर्स, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काउंसिल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पुअर एंड लेबरर्स, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) इम्मैक्यूलेट हार्ट ऑफ मेरी सोसायटी, मडोना स्पेशल स्कूल फॉर दि डीफ, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इम्मैक्यूलेट हार्ट ऑफ मेरी सोसायटी, मडोना स्पेशल स्कूल फॉर दि डीफ, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ दी हैंडीकैप्ड, पटियाला, पंजाब के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसायटी फॉर वेलफेयर ऑफ दी हैंडीकैप्ड, पटियाला, पंजाब के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) एफएआईटीएच-इंडिया (फाउंडेशन फॉर एबीलिटी इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉर दि हैंडीकैप्ड-इंडिया), पलक्कड़, केरल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एफएआईटीएच-इंडिया (फाउंडेशन फॉर एबीलिटी इम्प्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजी फॉर दि हैंडीकैप्ड-इंडिया), पलक्कड़, केरल के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) सोसायटी ऑफ ख्रिस्ट ज्योति, नव वाणी स्कूल फॉर दी डीफ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सोसायटी ऑफ ख्रिस्ट ज्योति, नव वाणी स्कूल फॉर दी डीफ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संस्करण)।

- (19) (एक) वूमन एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूमन एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) लेबेनशिल्फ, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लेबेनशिल्फ, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) नेहरू युवाजन सेवा संग्राम, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू युवाजन सेवा संग्राम, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) पतितपावन सेवा संघ, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पतितपावन सेवा संघ, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (27) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ (दिव्यांगजन), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ (दिव्यांगजन), मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय बहुदिव्यांगता जन (दिव्यांगजन) सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांगजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिक्ंदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, सिकंदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, देहरादून के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टिपल डिसेबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टिपल डिसेबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उत्तर प्रदेश मूक बधिर विद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) अलकेंदु बोध निकेतन रेजिडेंसियल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अलकेंदु बोध निकेतन रेजिडेंसियल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) अहिल्यादेवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अहिल्यादेवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) विकास सोशल सर्विस सोसाइटी, कन्नूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) विकास सोशल सर्विस सोसाइटी, कन्नूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) मानसिक विकास केंद्रम, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मानसिक विकास केंद्रम, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) संधिवर्धना मिनिस्ट्रीज, काकीनाड़ा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) संधिवर्धना मिनिस्ट्रीज, काकीनाड़ा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) ए.पी. स्टेट फॉर्म फॉर इकोनोमिकली वीकर सेक्शंस, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ए.पी. स्टेट फॉर्म फॉर इकोनोमिकली वीकर सेक्शंस, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वीकार एकेडमी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) पहल विकलांग पुनर्वास केंद्र समिति, कानपुर, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पहल विकलांग पुनर्वास केंद्र समिति, कानपुर, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) (एक) लीमा डीफ एंड मेंटली हैंडीकैप्ड वेल्फेयर एसोसिएशन, गुंटूर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लीमा डीफ एंड मेंटली हैंडीकैप्ड वेल्फेयर एसोसिएशन, गुंटूर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (51) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थॉबल, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूशन एण्ड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थॉबल, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) (एक) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन फॉर द मेंटली हैंडीकैप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) शांतिनिकेतन (रेजीडेंशियल इन्स्टीट्यूशन फॉर द इंटेलेक्चुअली चैलेंज) रंगारेड्डी, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) शांतिनिकेतन (रेजीडेंशियल इन्स्टीट्यूशन फॉर द इंटेलेक्चुअली चैलेंज) रंगारेड्डी, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) (एक) मानव विकास संस्था, बीड, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मानव विकास संस्था, बीड, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) दि रेसिडेंसियल स्कूल फॉर दी ब्लाइंड, गडवाल, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि रेसिडेंसियल स्कूल फॉर दी ब्लाइंड, गडवाल, तेलंगाना के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) (एक) दि सोसाइटी ऑफ हिडन स्प्राउट्स स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) दि सोसाइटी ऑफ हिडन स्प्राउट्स स्पेशल स्कूल फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) दि सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि सूर्य किरण पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, गुंटूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) (एक) दि कांगचुप एरिया ट्राइबल वूमन सोसायटी, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि कांगचुप एरिया ट्राइबल वूमन सोसायटी, मणिपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) दि उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी (उमा मनोविकास केंद्रम), काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि उमा एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसायटी (उमा मनोविकास केंद्रम), काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) (एक) जलपाईगुडी वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, जलपाईगुडी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जलपाईगुडी वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, जलपाईगुडी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) दि हेलन केलर्स स्कूल फॉर डीफ एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, सिक्ंदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि हेलन केलर्स स्कूल फॉर डीफ एंड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, सिक्ंदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) (एक) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय सेवा समिति, तिरुपति, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) (एक) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) (एक) दि सोसायटी फॉर एजुकेशनल एंड रिहैबिलीटेशन ऑफ द विजुअली हैंडीकेप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दि सोसायटी फॉर एजुकेशनल एंड रिहैबिलीटेशन ऑफ द विजुअली हैंडीकेप्ड, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) (एक) कवि नरसिंह मठ ब्लाइंड, डीफ एंड एम.आर. स्कूल, गंजम, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कवि नरसिंह मठ ब्लाइंड, डीफ एंड एम.आर. स्कूल, गंजम, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) (एक) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) (एक) श्री राजुल विकलांग पालक अभिभावक उत्थान समिति, विदिशा, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री राजुल विकलांग पालक अभिभावक उत्थान समिति, विदिशा, मध्य प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) (एक) हरिसुंदर महिला बहुद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल, उदगीर, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हरिसुंदर महिला बहुद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल, उदगीर, महाराष्ट्र के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय खेल विकास निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री सुमेधानन्द सरस्वती ने प्राक्कलन समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (एक) रेल मंत्रालय से संबंधित 'अमृत भारत स्टेशन योजना की प्रगति' विषय के बारे में पैंतीसवां प्रतिवेदन।
- (दो) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित 'जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय योजना का निष्पादन' विषय के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छत्तीसवां प्रतिवेदन।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (एक) 'अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के विशेष संदर्भ में 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों, नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालय आदि सहित स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 15वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

- (दो) 'दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के विशेष संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' विषय के बारे में 31वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (तीन) 'निर्धारित समयावधि में जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के विशेष संदर्भ में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' विषय के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री प्रवीन कुमार निषाद ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (एक) 'भारत में ज्वारीय ऊर्जा का विकास' विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (दो) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

7. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री पी.पी. चौधरी ने 'विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (एक) 'विदेशी राष्ट्रों के साथ प्रत्यावर्तन संधियां, आश्रय स्थल मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और वित्तीय अपराधों के मुद्दों सहित भारत और अंतर्राष्ट्रीय विधि' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

- (दो) 'भारत की सॉफ्ट पॉवर और सांस्कृतिक राजनय: संभाव्यताएं और सीमाएं' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (तीन) 'वर्ष 2023-24 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांग' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

8. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (एक) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) से संबंधित 'बीमा क्षेत्र की निष्पादन समीक्षा और विनियमन' विषय संबंधी 66वां प्रतिवेदन।
- (दो) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित 'दीवाला और शोधन अक्षमता संहिता का कार्यान्वयन - कमियां और समाधान' विषय के बारे में 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 67वां प्रतिवेदन।
- (तीन) वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह का सुदृढीकरण' विषय के बारे में 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 68वां प्रतिवेदन।

9. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री रामचरण बोहरा ने 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (एक) 'दिल्ली तक ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजना की समीक्षा और दिल्ली में नदी बेड प्रबंधन' विषय संबंधी 27वां प्रतिवेदन।
- (दो) जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल और स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

11. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (एक) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री परशोत्तम रूपाला) ने मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग संख्या 43) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (दो) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) (मांग संख्या 45) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 55वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (तीन) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'मीडिया कवरेज में आचार मानक' के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.10 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

- 1) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा बिहार एवं झारखण्ड को जोड़ने हेतु सोन नदी पर पुल के निर्माण के बारे में।
- 2) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धालभूमगढ़ हवाई अड्डे के निर्माण के बारे में।
- 3) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के डभौरा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।
- 4) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा शहरों तक प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 5) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा बालूरघाट में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में।
- 6) श्री रामदास चद्रभानजी तडस द्वारा बांग्लादेश को किए जाने वाले संतरे के निर्यात पर सीमा शुल्क को कम किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 7) श्री भोला सिंह द्वारा पान के पते की खेती को कृषि कार्यकलाप के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 8) श्री आर.के. सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में।
- 9) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धार्मिक महत्व के स्थानों को प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 10) श्री राहुल कस्वां द्वारा प्रस्तावित रींगस-खाटू श्यामजी नई रेलवे लाइन परियोजना में सालासर बालाजी, सुजानगढ़ व श्रीडूंगर बालाजी को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 11) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा गुजरात के धनेरा रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 14803/04 का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 12) श्री हैबी ईडन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा केरल में 3 पुलों की मरम्मत की तत्काल आवश्यकता के बारे में।
- 13) डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा किशनगंज में रमजान नदी के पुनरुद्धार के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 14) एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल में बाहरी रिंग रोड परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के बारे में।
- 15) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा सीयूईटी-पीजी 2024 के लिए भाषा विकल्पों पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 16) डॉ. गौतम सिगामणि पोन द्वारा तमिलनाडु में भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्य हेतु धनराशि जारी किये जाने के बारे में।
- 17) श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार के लौरिया में एक विरासत संग्रहालय स्थापित किए जाने की

आवश्यकता के बारे में।

- 18) श्री किंजरापु राम मोहन नायडू द्वारा फिजीकल कैजुअल्टीज से हताहत सैनिकों के आश्रितों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के बारे में।
- 19) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा झारखंड के गिरिडीह में औद्योगिक इकाइयों के कारण बढ़ रहे वायु और जल प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 20) एडवोकेट ए.एम. आरिफ़ द्वारा केरल के लिए केन्द्रीय निधि जारी किए जाने के बारे में।
- 21) श्री रवि किशन शुक्ला द्वारा मौर्य एक्सप्रेस की सेवाओं को ओडिशा के पुरी तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 22) प्रो. सौगत राय द्वारा आरबीआई द्वारा हाल ही में एक भुगतान बैंक के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बारे में।
- 23) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन देने के लिए नन्दुरबार में बैंक शाखाओं की स्थापना किए जाने के बारे में।
- 24) श्री राजेश वर्मा द्वारा लखनऊ- सीतापुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण के बारे में।
- 25) डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के उपासनों स्थलों के संरक्षण के बारे में।
- 26) श्री कोटागिरी श्रीधर द्वारा भारतीय रेल में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 27) श्री सुशील कुमार रिंगू द्वारा जालंधर में एम्स जैसा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 28) श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में।
- 29) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाएं विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 30) श्री विनोद कुमार सोनकर द्वारा रक्षा गलियारे को कौशांबी-प्रयागराज तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.10 बजे

13. सरकारी विधेयक- पारित

(एक) जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024

आबंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय : 1 घंटा 41 मिनट

श्री नित्यानन्द राय द्वारा श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री जसबीर सिंह गिल
2. श्री जुगल किशोर शर्मा
3. श्रीमती चिंता अनुराधा
4. श्री हसनैन मसूदी
5. प्रो. सौगत राय
6. श्रीमती सुप्रिया सुले
7. श्री प्रतापराव जाधव
8. श्री कौशलेन्द्र कुमार
9. श्री रमेश बिधूड़ी
10. डॉ. वीरास्वामी कलानिधि
11. श्रीमती नवनित रवि राणा
12. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
13. श्री वी. वैथिलिंगम
14. श्री सुनील कुमार पिन्टू
15. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री नित्यानन्द राय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड 2 से 19 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 1.51 बजे

(दो) लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024

आबंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय : 3 घंटा 47 मिनट

डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
2. डॉ. सत्यपाल सिंह
3. श्री डी. एम. कथीर आनन्द
4. श्रीमती चिंता अनुराधा
5. श्री राहुल रमेश शेवाले
6. श्री अच्युतानंद सामंत
7. श्री मलूक नागर
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री चन्देश्वर प्रसाद
10. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
11. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
12. श्री कल्याण बनर्जी
13. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
14. श्री हसनैन मसूदी
15. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
16. कुंवर दानिश अली

17. डॉ. के. जयकुमार
18. श्री सुमेधानन्द सरस्वती
19. डॉ. एस.टी. हसन
20. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
21. श्री राजीव प्रताप रूडी
22. डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस.
23. डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
24. श्रीमती संगीता आज़ाद
25. श्री संजय सेठ
26. श्री अधीर रंजन चौधरी

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 और 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 5 से 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 8 और 9 स्वीकृत हुए।

खण्ड 10 से 17 स्वीकृत हुए।

खण्ड 18 और 19 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 5.38 बजे

आबंटित समय: 2 घंटे
लिया गया समय : 2 घंटे

(तीन) संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023

(चार) संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023

डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अमर सिंह
2. श्री जुगल किशोर शर्मा
3. श्री. डी. रविकुमार
4. श्री मलूक नागर
5. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
6. श्रीमती गोड्डेति माधवी
7. श्री अरविंद सावंत
8. श्री दिलेश्वर कामैत
9. श्री रमेश चन्द्र माझी
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. श्री मोहम्मद सदीक
12. श्री भोला सिंह
13. श्री हसनैन मसूदी
14. डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस.
15. डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
16. श्री तापिर गाव
17. श्री रामशिरोमणि वर्मा
18. श्रीमती सुनीता दुग्गल
19. श्री कोडिकुन्नील सुरेश
20. श्री अधीर रंजन चौधरी

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित भाग के वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 से संबंधित भाग के वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(तीन) संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम स्वीकृत हुआ।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा विधेयक , यथासंशोधित, पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

(चार) संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

14*.राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

- (एक) कि राज्य सभा ने 6 फरवरी, 2024 को हुई अपनी बैठक में संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया।
- (दो) कि राज्य सभा ने 6 फरवरी, 2024 को हुई अपनी बैठक में संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 को पारित किया।
- (तीन) कि राज्य सभा ने 6 फरवरी, 2024 को हुई अपनी बैठक में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 को पारित किया।

15. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखे गए

- (एक) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
- (दो) संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024
- (तीन) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024

सायं 7.38 बजे

(लोक सभा बुधवार, 7 फरवरी, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 7 फरवरी, 2024 / 18 माघ, 1945 (शक)

संख्या 271

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 68 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 69 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. लोक सभा के सत्र को बढ़ाया जाना

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यथाप्रस्तावित और सभा द्वारा सहमति प्रदान किए जाने पर, 15वें सत्र को 1 दिन अर्थात् शनिवार, 10 फरवरी, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र

सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2023 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 878(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो दिनांक 6 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 879(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, खुर्दा का वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, खुर्दा के वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेल में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर की गई भर्ती के संबंध में हुई प्रगति संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) इंडियन रेलवे फ़ाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता जापन।
 - (दो) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता जापन।
 - (तीन) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता जापन।
 - (चार) इस्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता जापन।
 - (पांच) कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता जापन।
 - (छह) इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता जापन।
 - (सात) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता जापन।
 - (आठ) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता जापन।
 - (नौ) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 के लिए हुआ समझौता जापन।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी

- अधिसूचना संख्या का.आ. 5241(अ) जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 6148(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 5367(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 जो 16 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 43(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) का.आ. 4990(अ) जो दिनांक 20 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के एचएस कोड 71081200 के अंतर्गत सोने की आयात नीति शर्तों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 5226(अ) जो दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 07 के आईटीसी (एचएस) कोड 07131010 के अंतर्गत पीली मटर के लिए आयात नीति और नीति शर्तों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 5478(अ) जो दिनांक 28 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत उड़द [बीन्स ऑफ दि एसपीपी विग्ना मुंगो (एल.)

हेपर] आईटीसी (एचएस) 0713 31 10] और तूर/अरहर मटर (कजानस कजन) [आईटीसी (एचएस) 0713 6000] की "मुक्त" आयात नीति के 31.03.2025 तक विस्तार को अधिसूचित किया गया है।

- (चार) का.आ. 55(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 73 के एचएस कोड 7318 के अंतर्गत कवर की गई स्क्रू की आयात नीति और नीति शर्तों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 22(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.31 में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 175(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 की अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत कवर की गई चांदी की नीति शर्तों में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ. 5031(अ) जो दिनांक 23 नवम्बर, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य अधिरोपण को अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ. 5115(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के माध्यम से खाद्य वस्तुओं के निर्यात को अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) का.आ. 5182(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एचएस कोड 10063090 के अंतर्गत गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए नीति संबंधी शर्त शामिल किए जाने को अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ. 5183(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से कोमोरोस, मेडागास्कर, इक्विटोरियल गिनी, मिस्त्र और केन्या को गैर-बासमती सफेद चावल (एचएस कोड 10063090 के अंतर्गत) के निर्यात को अधिसूचित किया गया है।

- (ग्यारह) का.आ. 5201(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ. 5222(अ) जो दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डी-ऑयल्ड राइस ब्रान की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (तेरह) का.आ. 5317(अ) जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची-दो के अध्याय 10 के क्रम संख्या 55 और 57 की नीति संबंधी शर्त में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (चौदह) का.आ. 5351(अ) जो दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वनस्पति सहित खाद्य सप्लीमेंट की निर्यात नीति में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) एसटीसीएल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एसटीसीएल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) कैपेक्सिल (निर्यात संवर्धन परिषद), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) कैपेक्सिल (निर्यात संवर्धन परिषद), कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गौतम बुद्ध नगर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (घ) (एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) जूट प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जूट प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3(1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 5459(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि अधिसूचना के कॉलम (2) में निर्दिष्ट वस्तुएं राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 2024 तक अधिसूचना के कॉलम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिशत में आपूर्ति या वितरण के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक की जाएंगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा [4(ख)] के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 3839(अ) जो दिनांक 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 768(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का.आ. 152(अ) जो दिनांक 11 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 3375(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (11) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक

- प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) प्रवासन के लिए भारत केंद्र, नई दिल्ली के 1 अप्रैल, 2022 से 1 अगस्त, 2022 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) प्रवासन के लिए भारत केंद्र, नई दिल्ली के 1 अप्रैल, 2022 से 1 अगस्त, 2022 तक की अवधि के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

- वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद, बल्लभगढ़ के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद, बल्लभगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) तथा धारा 25 की उप-धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) प्रेशर कुकर के लिए रबर गास्केट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.5371(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) साइकिल और रिक्शा टायर और ट्यूब (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023, जो 13 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.5323(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (8) (एक) महानियंत्रक, एकस्व अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न तथा भौगोलिक उपदर्शन कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) महानियंत्रक, एकस्व अभिकल्प एवं व्यापार चिह्न तथा भौगोलिक उपदर्शन कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एण्ड एकजीबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एण्ड एकजीबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.5484(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 29 दिसम्बर को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध, जहां तक वे भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 से संबंधित उक्त अधिनियम की क्रम सं. 2 और अनुसूची में तत्संबंधी प्रविष्टियों से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2024 जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 09(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

डॉ. संजय जायसवाल ने 'प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्रा) पार्क योजना के माध्यम से सशक्तिकरण और रुग्ण वस्त्र इकाइयों/पीएसयू (बीआईसी, एनटीसी, सीटीएल आदि) के लिए पुनरुद्धार प्रयास' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2023-24) का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने लोक लेखा समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'डाक विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना' संबंधी 83वां प्रतिवेदन।
- (2) 'डाक विभाग में सार्वजनिक धन का दुर्विनियोजन' संबंधी 84वां प्रतिवेदन।
- (3) 'डाकघरों द्वारा अनियमित पेंशन भुगतान' संबंधी 85वां प्रतिवेदन।
- (4) 'सागर प्रहरी बल की स्थापना और प्रचालनशीलता' संबंधी 86वां प्रतिवेदन।
- (5) 'मुआवजे की प्राप्ति और उपयोग में अनियमितताएं तथा संविदाकार को अनुचित लाभ प्राप्त होने में परिणत होने वाली इंडिया हाउस, लंदन के बेसमेंट के नवीनीकरण संबंधी कार्य को दिए जाने तथा उसके निष्पादन में व्यापक अनियमितता तथा छेड़छाड़' संबंधी 87वां प्रतिवेदन।
- (6) 'लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)' का कार्यान्वयन' के बारे में समिति के 54वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 88वां प्रतिवेदन।
- (7) 'भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना' संबंधी 89वां प्रतिवेदन।
- (8) 'चैनल एयर बॉक्स की खरीद पर परिहार्य व्यय: बनारस लोकोमोटिव वर्क्स' संबंधी 90वां प्रतिवेदन।
- (9) 'राजस्व की हानि: दक्षिण पश्चिम रेल' संबंधी 91वां प्रतिवेदन।
- (10) 'डाक विभाग में रेल डाक सेवा और सड़क परिवहन नेटवर्क का कार्यकरण' संबंधी 92वां प्रतिवेदन।
- (11) 'पहुंच सड़क की अपूर्णता के कारण पूंजी अवरुद्ध होना: मध्य रेल' संबंधी 93वां प्रतिवेदन।

- (12) 'सीमित ऊंचाई सबवे (एलएचएस) का निर्माण और उपयोग' के बारे में समिति के 52वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 94वां प्रतिवेदन।
- (13) 'प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न प्रदूषण' संबंधी 95वां प्रतिवेदन।
- (14) 'एक अतिरिक्त सीएनसी हॉरीजोन्टल बोरिंग और मिलिंग मशीन की विवेकरहित खरीद; पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स' संबंधी 96वां प्रतिवेदन।
- (15) 'भूमि अधिग्रहण के मामले में रेल प्रशासन के अनिर्णय के कारण हानि: पूर्व मध्य रेल' संबंधी 97वां प्रतिवेदन।
- (16) 'विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण में पर्यावरण मुद्दों का आकलन' संबंधी 98वां प्रतिवेदन।
- (17) 'मुक्त पहुंच के माध्यम से विद्युत खरीद समझौतों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण अतिरिक्त व्यय; पश्चिम मध्य रेल' संबंधी 99वां प्रतिवेदन।
- (18) 'तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान' के बारे में समिति के 62वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 100वां प्रतिवेदन।
- (19) 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) का कार्यकरण' के बारे में समिति के 44वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट उनकी टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 101वां प्रतिवेदन।
- (20) 'अतिरिक्त मालभाड़ा अर्जित करने के अवसर की हानि और हॉलेज पर अतिरिक्त व्यय: दक्षिण पश्चिम रेल' संबंधी 102वां प्रतिवेदन।
- (21) 'नई सेवा (एनएस)/ नए सेवा लिखत (एनआईएस)' से संबंधित मामलों के निर्धारण के लिए वित्तीय सीमाओं की पुनरीक्षा' संबंधी 103वां प्रतिवेदन।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

सुश्री भावना गवली (पाटील) ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत किए:-

- (1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं के सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) के लिए योजना' विषय संबंधी 67वां प्रतिवेदन।
- (2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) से संबंधित 'जलवायु प्रतिरोधी कृषि का संवर्धन' विषय संबंधी 68वां प्रतिवेदन।
- (3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) से संबंधित 'देश में छोटे और सीमान्त किसानों के लिए फार्म मशीनीकरण में अनुसंधान और विकास' विषय के बारे में समिति के 58वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 69वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन।
- (4) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित 'मत्स्यपालन क्षेत्र की रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन संभाव्यता' विषय संबंधी 70वां प्रतिवेदन।

9. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 62वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'भारत की नीति आयोजना तथा आईसीडब्ल्यूए और आरआईएस के विशेष संदर्भ में थिंक टैंक की भूमिका' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।
- (2) 'भारत की पड़ोसी प्रथम नीति' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

11. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती लॉकेट चटर्जी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-2024) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित 'ईंधन स्टेशनों पर डिस्पेंसिंग मशीनों के विशेष संदर्भ में भार तथा माप का विनियमन' विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-2024) का 39वां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) से संबंधित 'उचित दर की दुकानों का रूपांतरण' विषय के बारे में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2023-2024) का 40वां प्रतिवेदन।

12. रेल संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री राधा मोहन सिंह ने रेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2019-20)' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई।

- (2) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2020-21)' के बारे में समिति के तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई।
- (3) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2021-22)' के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के नौवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई।
- (4) 'रेल स्टेशनों के आधुनिकीकरण सहित यात्री सुविधाएं' विषय के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के दसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई।
- (5) 'भारतीय रेल में यात्री आरक्षण प्रणाली' विषय के बारे में समिति के आठवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के बारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई।
- (6) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23)' के बारे में समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई।
- (7) 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई।

13. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पल्लब लोचन दास ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'जूट उद्योग का विकास और संवर्धन' संबंधी 53वां प्रतिवेदन।
- (2) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'रेशम उद्योग के विकास और संवर्धन के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की योजनाएं/कार्यक्रम' संबंधी 54वां प्रतिवेदन।
- (3) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'सूती क्षेत्र का विकास' संबंधी 55वां प्रतिवेदन।
- (4) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और विज्ञान जागरूकता (संकल्प) परियोजना का कार्यान्वयन' संबंधी 56वां प्रतिवेदन।
- (5) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'संगठित और असंगठित क्षेत्रों में वस्त्र कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा उपाय' के बारे में समिति के 50वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 57वां प्रतिवेदन।
- (6) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'प्रशिक्षण महानिदेशालय का कार्यकरण' के बारे में समिति के 49वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 58वां प्रतिवेदन।

14. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री पल्लब लोचन दास ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना (एनएपीएस)/राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) का कार्यान्वयन' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 30वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 39वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन' के बारे में 36वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (5) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'मानव निर्मित फाइबर का विकास' के बारे में 37वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (6) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में 42वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

15. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रघु राम कृष्ण राजू कानुमुरु ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में न्यायिक अवसंरचना' विषय संबंधी 141वां प्रतिवेदन।
- (2) 'विधिक वृत्ति के समक्ष उभरती हुई चुनौतियों के मद्देनजर विधिक शिक्षा का सुदृढीकरण' विषय संबंधी 142वां प्रतिवेदन।

- (3) 'विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत कानूनी सहायता के कार्यक्रम की समीक्षा' विषय संबंधी 143वां प्रतिवेदन।
- (4) न्याय विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय) से संबंधित 'न्यायिक प्रक्रियाएं और उनका सुधार' विषय के बारे में समिति के 133वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 144वां प्रतिवेदन।

16. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।
- (एक) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) (मांग संख्या 03) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 326वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (दो) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 326वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 334वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (तीन) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) (मांग संख्या 03) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 341वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (चार) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 341वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार

द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 351वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

- (पांच) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) (मांग संख्या 03) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 358वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयले का आयात-आत्मनिर्भरता की प्रवृत्तियां और मुद्दा' के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र भारत को लाभान्वित करेगा' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 182वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (4) विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।
- (एक) रक्षा मंत्रालय से संबंधित सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22)' के बारे में अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (दो) रक्षा मंत्रालय से संबंधित थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21) के बारे में अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में रक्षा संबंधी

स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा सेवाओं, खरीद नीति और रक्षा आयोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21) के बारे में अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(चार) रक्षा मंत्रालय से संबंधित आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21) के संबंध में अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

17. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

- 1) श्री गोपाल चिन्मय्या शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के मुंबई-उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फूड प्लाजा प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 2) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 3) डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना में हवाई अड्डा निर्मित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 4) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ शहर में हापुड़-खुर्जा रेल लाइन पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

- 5) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा संथाल परगना के आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में। ।
- 6) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबन्ध के बारे में।
- 7) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चल अस्पताल संचालित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 8) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा भीलवाड़ा में कृषि, खनन एवं वस्त्र क्षेत्र में विकास के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 9) श्री चुन्नी लाल साहू द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत स्थापित विद्यालयों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए शिक्षकों की शिकायतों के बारे में।
- 10) श्री भोलानाथ (बी.पी. सरोज) द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की मजदूरी बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 11) एडवोकेट डीन क्रियाकोस द्वारा आंगनवाड़ी, आशा और मनरेगा कर्मियों की मजदूरी बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 12) श्री ए. गणेशमूर्ति द्वारा तमिलनाडु में नारियल किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में।
- 13) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा रेलवे में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 14) श्री प्रताप राव जाधव द्वारा सोयाबीन और कपास के निर्यात पर प्रतिबंध हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में। ।
- 15) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में।
- 16) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा ओडिशा के बरहामपुर में मॉडल विद्यालय खोले जाने के बारे में।
- 17) श्री के. सुब्बारायण द्वारा तमिलनाडु में चक्रवात 'मिचौंग' से प्रभावित क्षेत्रों हेतु धनराशि जारी किए जाने के बारे में।
- 18) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा पालक्काड़-कोझिकोड ग्रीनफील्ड राजमार्ग के चार लेन के निर्माण के लिए जिन लोगों की भूमि और संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें मुआवजा संवितरित प्रदान किए जाने में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 19) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग-744 ग्रीन फील्ड राजमार्ग के विकास

हेतु भूमि अधिग्रहण के बारे में।

- 20) श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के धरसीवा ब्लॉक में बंद पड़े सीमेंट प्लांट और उससे लगी जर्जर आवासीय कॉलोनी की भूमि का उपयोग भारी औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 21) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा रामायण सर्किट में हत्या हरण धार्मिक स्थल को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 22) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के घोड़ासहन रेल स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में।
- 23) श्री राम कृपाल यादव द्वारा पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेल अवसंरचना विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 24) श्रीमती हिमाद्री सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयला खनन एवं संबंधित कार्यकलापों के लिये जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की गई, उन्हें मुआवजा एवं रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 25) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 26) श्री मलूक नागर द्वारा गन्ने की न्यूनतम दर बढ़ाकर 550 रुपये किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 27) श्री मद्दीला गुरुमूर्ति द्वारा तिरुपति को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के बारे में।
- 28) श्री उन्मेश बी. पाटिल द्वारा महाराष्ट्र एक्सप्रेस का समय पुनर्निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.12 बजे

18. (एक) अंतरिम बजट - 2024-25 पर सामान्य चर्चा;

(दो) लेखानुदानों की मांगें - 2024-25;

(तीन) वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - दूसरा बैच;

(चार) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा;

(पांच) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की लेखानुदानों की मांगें; और
(छह) वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के अनुदानों की अनुपूरक
मांगें

आबंटित समय: 6 घंटे
लिया गया समय : 7 घंटा 6 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर संयुक्त चर्चा एक साथ की गई:-

(एक) वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा ।

(दो) मांग संख्या 1 से 38, 41 से 66, 68 से 74, 76 से 79, 81 से 83 और 85 से 102 के संबंध में 2024-25 के लेखानुदानों की मांगें।

(तीन) वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें- दूसरा बैच के संबंध में संख्या 1 से 8, 10 से 15, 18 से 23, 25, 26, 28 से 32, 35 से 37, 41, 42, 44, 45, 46, 48 से 53, 55, 58, 60 से 66, 68, 69, 71, 74, 78, 79, 81, 83, 85 से 90, 92, 94, 95, 98 और 100 से 102 तक के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें ।

(चार) वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा।

(पांच) मांग संख्या 1 से 36 के संबंध में वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 हेतु लेखानुदानों की मांगें।

(छह) वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्याएं 6, 8, 24 और 36।

अध्यक्षपीठ ने श्री सुरेश कोडिकुन्नील और श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आफरीन अली) द्वारा कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के बारे में घोषणा करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"सभा अब वर्ष 2024-2025 के लिए लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी।

श्री सुरेश कोडिकुन्नील और श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने लेखानुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव दिए हैं। यदि माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं तो वे 15 मिनट के भीतर जिन कटौती प्रस्तावों को पेश करना चाहते हैं उनसे संबंधित क्रम संख्या का उल्लेख करते हुए एक स्लिप पटल पर भेज दें।

इसके तुरंत पश्चात्, जिनके कटौती प्रस्ताव, जिन्हें पेश किया गया माना जाएगा उनकी क्रम संख्या को दर्शाने वाली सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी। यदि सूची में कोई विसंगति पाई जाती है तो सदस्य तुरंत उसे पटल पर उपस्थित अधिकारी के ध्यान में लाएं।"

13 (संख्या 1 एवं 2 और 3 से 13) कटौती प्रस्ताव पेश किए गए।

तत्पश्चात्, निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. शशि थरूर
2. डॉ. निशिकांत दुबे
3. श्री दयानिधि मारन
4. प्रो. सौगत राय
5. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति
6. श्री संतोष कुमार
7. श्री गिरीश चन्द्र
8. सुश्री भावना गवली (पाटील)
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री भर्तृहरि महताब
11. सुश्री एस. जोतिमणि
12. श्री जयंत सिन्हा

13. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
14. श्री विनायक भाऊराव राऊत
15. श्री प्रताप सिम्हा
16. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
17. श्री राहुल कस्वां
18. श्री हसनैन मसूदी
19. श्री हरीश द्विवेदी
20. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
21. *श्री कुलदीप राय शर्मा
22. *श्री कृष्ण पाल सिंह यादव
23. *श्री पी.आर. नटराजन
24. * श्री विवेक नारायण शेजवलकर
25. * एडवोकेट डीन कुरियाकोस
26. * डॉ. आलोक कुमार सुमन
27. * श्री एस. जगतरक्षकन
28. * श्री संगम लाल गुप्ता
29. * श्री सी. एन. अन्नादुरई
30. * श्री रितेश पाण्डेय
31. * श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
32. * श्री एम. के. राघवन

33. * श्रीमती संध्या राय
34. *श्रीमती संगीता आज़ाद
35. *श्री रामशिरोमणि वर्मा
36. * श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
37. * सुश्री राम्या हरिदास
38. * श्री कौशलेन्द्र कुमार
39. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
40. श्री राजू बिष्ट
41. श्री एस.एस. पलानीमणिकम
42. डॉ. मोहम्मद जावेद
43. श्री सौमित्र खान
44. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
45. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
46. श्री के. सुब्बारायण
47. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
48. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
49. #श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी
50. श्री चन्देश्वर प्रसाद
51. श्रीमती डिम्पल यादव

महिला और बाल विकास मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

52. श्री विजय कुमार हांसदाक
53. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
54. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
55. *श्री रामचरण बोहरा
56. *डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
57. श्री तेजस्वी सूर्या
58. *डॉ. संघमित्रा मौर्य
59. *एडवोकेट अदूर प्रकाश
60. *श्री निहाल चन्द
61. **श्री वी.के. श्रीकंदन
62. *श्री दिलेश्वर कामैत
63. *श्रीमती नवनित रवि राणा
64. *श्री डी. रविकुमार
65. *श्री बिद्युत बरन महतो
66. *श्री सु. थिरुनवुक्करासर
67. *श्री मलूक नागर
68. *श्रीमती रमा देवी
69. *श्री डी. के. सुरेश
70. *श्री थोमस चाज़िकाडन

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

71. *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
72. *श्री जगदम्बिका पाल
73. *श्री खगेन मुर्मु
74. *श्री नारणभाई काछडिया
75. *श्री असित कुमार मल
76. *डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
77. * श्री अरविंद सावंत
78. * डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
79. * श्री राहुल रमेश शेवाले
80. * श्री उन्मेश बी. पाटिल
81. * श्री सुनील कुमार सिंह
82. * श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
83. * श्री मितेष रमेशभाई (बकाभाई) पटेल
84. * श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़
85. * श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल
86. * डॉ. के. जयकुमार
87. * श्री परबतभाई सवाभाई पटेल

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।
सभी कटौती प्रस्ताव पेश किए गए, उन पर मतदान हुआ और अस्वीकृत हुए।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्रीय बजट की अनुदान मांगों की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के तहत दर्शाई गई राशियों के लिए अनुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 38, 41 से 66, 68 से 74, 76 से 79, 81 से 83 और 85 से 102 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

वर्ष 2023-2024 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - दूसरा बैच के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की सभी मांग संख्या 1 से 8, 10 से 15, 18 से 23, 25, 26, 28 से 32, 35 से 37, 41, 42, 44, 45, 46, 48 से 53, 55, 58, 60 से 66, 68, 69, 71, 74, 78, 79, 81, 83, 85 से 90, 92, 94, 95, 98 और 100 से 102 पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान मांगों की मुद्रित सूची (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार) के कॉलम 3 के तहत दर्शाई गई राशि के लिए अनुदानों की मांग संख्या 1 से 36 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) की सभी मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) की मुद्रित सूची के कॉलम 3 के तहत दर्शाई गई राशि के लिए अनुदानों की मांग संख्या 6, 8, 24 और 36 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) की सभी अनुपूरक मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

19. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024.

20. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024.

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

21. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग विधेयक, 2024.

22. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग विधेयक, 2024

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

23. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

24. सरकारी विधेयक - पारित

जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

25. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024

26. सरकारी विधेयक - पारित

जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 7.18 बजे

27. सरकारी विधेयक- पारित

वित्त विधेयक, 2024

आबंटित समय: 3 घंटे

लिया गया समय : 3 घंटे 12 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री सी. एन. अन्नादुरई
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. डॉ. के. जयकुमार
6. श्री मलूक नागर
7. श्री राम कृपाल यादव
8. श्री के. नवासखनी
9. श्री रवनीत सिंह
10. श्रीमती नवनित रवि राणा
11. श्रीमती सुनीता दुग्गल
12. श्री भर्तृहरि महताब
13. श्री थोमस चाज़िकाडन
14. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव
15. श्री पी. रविन्द्रनाथ
16. श्री डी. रविकुमार
17. डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
18. श्री दिलेश्वर कामैत

19. श्रीमती संगीता आज़ाद
20. डॉ. अमर सिंह
21. श्री दिलीप शङ्कीया
22. श्री शंकर लालवानी
23. डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस.
24. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वाद-विवाद का उत्तर दिया। श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड 2 से 13 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पंकज चौधरी द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 10.30 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 8 फरवरी, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 8 फरवरी, 2024 / 19 माघ, 1945 (शक)

संख्या 272

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 87 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 88 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.02 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से कैलेंडर वर्ष 2022 में प्रत्येक प्रकार के सामान्य पूल रिहायशी आवास में होने वाली 5% रिक्तियों के लिए दिनांक 17.11.1997 के दिशानिर्देशों के संबंध में सामान्य पूल रिहायशी आवास के किए गए विवेकाधीन बिना बारी के आवंटनों के वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य

मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से 14वीं, 16वीं और 17वीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और परिवचनों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

चौदहवीं लोक सभा		
1.	विवरण संख्या 36	चौथा सत्र, 2005
सोलहवीं लोक सभा		
2.	विवरण संख्या 33	तीसरा सत्र, 2014
3.	विवरण संख्या 25	सातवां सत्र, 2016
सत्रहवीं लोक सभा		
4.	विवरण संख्या 21	पहला सत्र, 2019
5.	विवरण संख्या 17	दूसरा सत्र, 2019
6.	विवरण संख्या 16	चौथा सत्र, 2020
7.	विवरण संख्या 16	पांचवां सत्र, 2021
8.	विवरण संख्या 15	छठा सत्र, 2021
9.	विवरण संख्या 9	सातवां सत्र, 2021
10.	विवरण संख्या 9	आठवां सत्र, 2022
11.	विवरण संख्या 6	नौवां सत्र, 2022
12.	विवरण संख्या 4	दसवां सत्र, 2022
13.	विवरण संख्या 4	ग्यारहवां सत्र, 2023
14.	विवरण संख्या 1	चौदहवां सत्र, 2023

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह] ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 5153(अ) जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में एनएच-8ड के डिजाइन कि.मी. 287.430 से कि.मी. 379.100 तक गाड़-पोरबंदर खंड के 2एलपीएस/4एल खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

- (दो) का.आ. 5327(अ) जो दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एनएच-179ए के डिजाइन कि.मी. 36.000 से कि.मी. 80.000 तक सेलम से वनियमबडी खंड तक चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 5328(अ) जो दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य में एनएच-179ए के डिजाइन कि.मी. 80.000 से कि.मी. 125.000 तक सेलम तिरुपतूर-वनियमबडी सड़क खंड के चार लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 5366(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा गुजरात राज्य में बीओटी (टोल) आधार पर समखियाली से संतालपुर खंड तक कि.मी. 339.200 से कि.मी. 430.100 तक एनएच-27 (पुराना एनएच-15) की छह लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 5368(अ) जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-330ए के डिजाइन कि.मी. 47.800 से कि.मी. 108.020 तक जगदीशपुर-अयोध्या खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 39(अ) जो दिनांक 2 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-47 के डिजाइन कि.मी. 0.400 से कि.मी. 121.248 तक हरदा-बैतूल खंड के चार या अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

- (सात) का.आ. 149(अ) जो दिनांक 14 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-752जी के डिजाइन कि.मी. 50.200 से कि.मी. 98.800 तक नादुरबार (कोल्डे) - प्रकाशा - शहादा - खेतिया (एमपी/एमएच राज्य सीमा) खंड के 2एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (आठ) का.आ. 298(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5327(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (नौ) का.आ. 299(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य में एनएच-148बी के डिजाइन कि.मी. 236.600 से कि.मी. 239.480 और कि.मी. 244.540 से कि.मी. 287.548 तक मूनक-जखल-बुढलडा-भीखी खंड के 2 एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ. 300(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तराखंड राज्य में एनएच-74 के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 71.614 तक हरिद्वार-नगीना के चार लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ. 301(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में एनएच-31सी (नए एनएच-27) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 30.000 तक एनएच-31सी (नए एनएच-27) के कोचुगांव से श्रीरामपुर खंड तक चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ. 302(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कि.मी. 16.350 से कि.मी. 97.200/0.000 तक (पठानकोट-जम्मू खंड), कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.305/9.370 (जम्मू बाइपास) तक और

जम्मू उधमपुर खंड के कि.मी. 9.370 से कि.मी. 52.457/0.00 तक नगरोटा बाइपास सहित कि.मी. 9.800 से कि.मी. 21.500 तक तथा जम्मू और कश्मीर के एनएच-1ए (नए एनएच-44) के जम्मू श्रीनगर खंड पर उधमपुर बाईपास के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 16.387/67.000 तक चार या अधिक लेन के खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(तेरह) का.आ. 303(अ) जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-50 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 54.370 तक महाराष्ट्र सीमा से बीदर खंड के 2 एलपीएस/4 लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(चौदह) का.आ. 355(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-31 (पुराने एनएच-232ए) के डिजाइन कि.मी. 1.000 से कि.मी. 70.000 तक उन्नाव से लालगंज खंड की चार या अधिक लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(पन्द्रह) का.आ. 356(अ) जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में एनएच-648 (पुराने एनएच-207) के डिजाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 42.000 तक डोबासपेट से डोड्डाबल्लापुर बाईपास खंड की चार लेन की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचित किया गया है।

(2) (एक) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उप महानिदेशक (एनएमईईईई) की नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें संशोधन नियम, 2023, जो दिनांक 4 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 873(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (2) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर, तमिलनाडु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर, तमिलनाडु के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-
- (1) (एक) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, कानपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, कानपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली लिमिटेड के ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम, नानी दमन के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली लिमिटेड के ओमनीबस

औद्योगिक विकास निगम, नानी दमन का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ख) (एक) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) भारत पेट्रोरिसोर्सेस लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (2) भारत पेट्रोरिसोर्सेस लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखेंगे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाज़ियाबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाज़ियाबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राजकोट के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बठिंडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलगिरी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (23) (एक) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) ने जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) वाष्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) वाष्कोस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार और पंजीकरण) विनियम, 2023 जो दिनांक 29 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. 20-28/2022-आरईजी./((विनियम)/(ई) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (पूर्व स्नातक यूनानी कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2023 जो दिनांक 29 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. बीयूसएस/एमईएस(यूनानी-यूजी-आरईजीएल)/2023 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (पूर्व स्नातक सोवा-रिग्पा कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2023 जो दिनांक 29 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फाइल सं. 18-12/2022-बीयूसएस (सोवा-रिग्पा_यूजी-एमईएस) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय परीक्षा) विनियम, 2023 जो दिनांक 20 दिसंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. एसईसी/एनसीआईएसएम/आरईजी(1)/2023

में प्रकाशित हुए थे।

- (6) (एक) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 की धारा 29 के अंतर्गत आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2024 जो दिनांक 19 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-12015/16/2023-एएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) इंडियन मेडिसिंस फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) इंडियन मेडिसिंस फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी*।

4. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील को दिनांक 05.12.2023 से दिनांक 21.12.2023 तक की अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई।

5. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगवार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्यांक 14 के सीएण्डएजी लेखापरीक्षा पैरा सं. 6.1 के आधार पर हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) से संबंधित तांबा अयस्क ट्रेलिंग परिष्करण संयंत्र के निर्माण पर अनुपयोगी व्यय' विषय संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (2) 'इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित सड़क

* अपराहन 4.44 बजे।

परियोजनाओं को ऋणों की समीक्षा (वर्ष 2020 के सीएण्डएजी प्रतिवेदन संख्यांक 18 के पैरा सं. 5.1 के आधार पर) के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

6. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने लोक लेखा समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'आयुध सेवाओं में वस्तुसूची प्रबंधन' संबंधी 104वां प्रतिवेदन।
- (2) 'राजस्व की हानि और अनुज्ञापी को अनुचित लाभ' संबंधी 105वां प्रतिवेदन।
- (3) 'निम्न विद्युत कारक के लिए प्रतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान - वी.ओ.चिदम्बरनार पत्तन न्यास' संबंधी 106वां प्रतिवेदन।
- (4) 'भारतीय नौसेना में अधिकारियों का प्रशिक्षण' संबंधी 107वां प्रतिवेदन।
- (5) 'कोलकाता पत्तन न्यास में ड्रेजिंग क्रियाकलाप' संबंधी 108वां प्रतिवेदन।
- (6) 'जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) को राजस्व हानि' संबंधी 109वां प्रतिवेदन।
- (7) 'आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना' के बारे में समिति के 48वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 110वां प्रतिवेदन।
- (8) 'मनोरंजन क्षेत्र में निर्धारितियों का निर्धारण (डीटी)' के बारे में समिति के 51वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 111वां प्रतिवेदन।
- (9) 'सौर तापीय विद्युत संयंत्र का अनुपयोग' के बारे में समिति के 61वें प्रतिवेदन (17वीं

- लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 112वां प्रतिवेदन।
- (10) 'रेल भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेल भूमि का विकास' संबंधी 113वां प्रतिवेदन।
- (11) 'गैर-चुनिंदा लेखापरीक्षा पैराओं पर की-गई-कार्रवाई टिप्पण को समय से प्रस्तुत किए जाने में मंत्रालयों/विभागों द्वारा गैर-अनुपालन (सिविल और अन्य मंत्रालय)' के बारे में समिति के 66वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 114वां प्रतिवेदन।
- (12) 'भारतीय रेल में खान-पान सेवाएं' संबंधी 115वां प्रतिवेदन।
- (13) 'कृषि आय से संबंधित निर्धारण' के बारे में 49वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 116वां प्रतिवेदन।
- (14) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय (2019-20)' के बारे में 53वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 117वां प्रतिवेदन।
- (15) 'भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईएनडीयू) की स्थापना में अत्यधिक विलंब' संबंधी 118वां प्रतिवेदन।
- (16) 'आकस्मिक व्यवसाय और सेवा प्रभारों में संशोधन करने में विफलता के कारण राजस्व की हानि' संबंधी 119वां प्रतिवेदन।
- (17) 'किराये के कम आकलन' संबंधी 120वां प्रतिवेदन।
- (18) 'भारतीय सेना में विकलांगता पेंशन' संबंधी 121वां प्रतिवेदन।
- (19) 'पुलिस विभाग, संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ में वेतन और भत्तों की लेखापरीक्षा' संबंधी 122वां प्रतिवेदन।

- (20) 'एसईईपीजेड, एसईजेड प्राधिकरण, मुम्बई के प्रमुख कार्यों को देने में अनियमितताएं' के बारे में 72वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 123वां प्रतिवेदन।

7. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

सुश्री भावना गवली (पाटील) ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 06.02.2024 को हुई 13वीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा ने अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधीन विभिन्न विभागों/संगठनों/संस्थाओं में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों के बारे में 30वां प्रतिवेदन।
- (2) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय' के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।
- (3) गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल (सीआईएसएफ) में रोजगार में अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों के बारे में 32वां प्रतिवेदन।
- (4) गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (सीआरपीएफ) में रोजगार में

अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और उनके कल्याण के लिए किए गए उपायों के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

9. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश चन्द्र ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 171वां प्रतिवेदन।
- (2) भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति आयोग, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 172वां प्रतिवेदन।
- (3) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल), गुड़गांव के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 173वां प्रतिवेदन।
- (4) कोरापुट डेपलवमेंट फाउंडेशन कोरापुट, ओडिशा के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 174वां प्रतिवेदन।
- (5) राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए), चेन्नई के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 175वां प्रतिवेदन।
- (6) राष्ट्रीय गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण संस्थान (एनआईएचई), अलमोड़ा के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 176वां प्रतिवेदन।
- (7) ऑरोविले फाउंडेशन, विल्लुपुरम, तमिलनाडु के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 177वां प्रतिवेदन।

- (8) राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी), अमेठी के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में 178वां प्रतिवेदन।
- (9) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, श्री सिटी चित्तूर के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 131वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 179वां प्रतिवेदन।
- (10) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 143वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 180वां प्रतिवेदन।
- (11) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 151वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 181वां प्रतिवेदन।
- (12) गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 149वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर उपभोक्ता मामले मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 182वां प्रतिवेदन।
- (13) रेल सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के बारे में समिति के 132वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में समिति द्वारा की-गई टिप्पणियों/सिफारिशों पर रेल मंत्रालय द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 183वां प्रतिवेदन।

10. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री निहाल चन्द चौहान ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 98वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (स्वीकृत)' के बारे में 99वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) 'आश्वासनों को छोड़े जाने हेतु अनुरोध (अस्वीकृत)' के बारे में 100वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) 'युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (खेल विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 101वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

11. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रतापराव जाधव ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'डिजिटल भुगतान और डाटा संरक्षण के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपाय' विषय संबंधी 54वां प्रतिवेदन।
- (2) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित 'नागरिक डाटा सुरक्षा और निजता' के बारे में समिति के 48वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 55वां प्रतिवेदन।
- (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'भारत में केबल टेलीविजन का विनियमन'

विषय संबंधी 56वां प्रतिवेदन।

- (4) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित 'डाक विभाग-पहलें और चुनौतियां' विषय संबंधी 57वां प्रतिवेदन।

12. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

कुंवर दानिश अली ने 'देश में जिला सैनिक बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा' विषय के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 47वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश बिधूड़ी ने 'तेल पीएसयू से जुड़ी मुकदमेबाजी' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2023-24) का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

14. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुनील कुमार सोनी ने 'स्मार्ट सिटी मिशन: एक मूल्यांकन' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

15. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. शशि थरूर ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन' विषय संबंधी 50वां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2023-24)' के बारे में समिति के 41वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट

समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

- (3) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'उर्वरक उत्पादन के लिए आयोजना तथा जीएसटी और आयात शुल्क सहित उर्वरकों पर आयात नीति' के बारे में समिति के 43वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

16. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि ने ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार - मजदूरी दरों और उससे संबंधित अन्य मामलों पर एक अंतर्दृष्टि के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 37वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

17. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और उद्योगों का विकास' के बारे में समिति के 181वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 186वां प्रतिवेदन।
- (2) 'निर्यातों को अधिकतम और आयातों को न्यूनतम करने के लिए प्रमुख उत्पादों और देशों के निर्धारण की व्यापक रणनीति' संबंधी 187वां प्रतिवेदन।

18. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री के. मुरलीधरन ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मार्गों (2023-24) के बारे में समिति के 343वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 364वां प्रतिवेदन।
- (2) 'ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड विमानपत्तनों का विकास और रक्षा विमानपत्तनों में सिविल एनक्लेवों से संबंधित मुद्दे' विषय के बारे में समिति के 350वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 365वां प्रतिवेदन।
- (3) 'विमान किरायों के निर्धारण का मुद्दा' विषय के बारे में समिति के 353वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 366वां प्रतिवेदन।
- (4) 'राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रचालन और रख-रखाव तथा टोल प्लाजा का प्रबंधन' विषय संबंधी 367वां प्रतिवेदन।
- (5) 'देश में पोत निर्माण, पोत मरम्मत और पोत तोड़ने के उद्योग की स्थिति' विषय संबंधी 368वां प्रतिवेदन।
- (6) 'देश में प्रमुख पत्तनों का कार्यकरण' विषय के बारे में समिति के 352वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 369वां प्रतिवेदन।

19. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. संघमित्रा मौर्य ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 (मांग संख्या 47) के बारे में 144वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 152वां प्रतिवेदन।
- (2) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 (मांग संख्या 4) के बारे में 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 153वां प्रतिवेदन।
- (3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2023-24 (मांग संख्या 46) के बारे में 143वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 154वां प्रतिवेदन।
- (4) केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के कार्यक्रम संबंधी 155वां प्रतिवेदन।

20. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) ने स्टेम सेल के बारे में श्री सुनील कुमार पिन्टू संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 429 के 21.07.2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और विलंब के कारण बताने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान) ने विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 340वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 356वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन *12.52 बजे

21. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अमर सिंह ने मंहगाई, बेरोजगारी से निपटने और कृषि-ऋण माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

श्री मलूक नागर सहयोजित हुए।

#श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उत्तर दिया।

\$22. सांविधिक संकल्प

श्री पंकज चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-

“सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसरण में, यह सभा एतद्द्वारा दिनांक 15 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या 01/2024-सीमा शुल्क, [सा.का.नि. 39 (अ), दिनांक 15 जनवरी, 2024] का अनुमोदन करती है, जिसका आशय सीटीएच 1703 के अंतर्गत आने वाले चीनी के निष्कर्षण या शोधन से उत्पन्न मोलासेस के निर्यात पर 18 जनवरी, 2024 से 50% निर्यात शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है”।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराहन 2.44 बजे

23. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

* अपराहन 12.15 बजे से अपराहन 2.44 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

§ अपराहन 1.11 बजे

- 1) श्री छेदी पासवान द्वारा मुंडेश्वरी धाम के दर्शन के लिए रोपवे व्यवस्था शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 2) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा केरल के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के मंदिरों को प्रसाद योजना के अंतर्गत सम्मिलित किये जाने के बारे में।
- 3) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा मुंबई-सोलापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को लोनावाला रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 4) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने/ ध्वज फहराने के प्रोटोकॉल में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 5) श्री हसनैन मसूदी द्वारा जम्मू-कश्मीर में विद्युत की कमी को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 6) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा तमिलनाडु के लिए गेहूं, चावल और तुअर दाल के अतिरिक्त आबंटन की आवश्यकता के बारे में।
- 7) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा ब्राह्मणों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 8) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित विधियों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 9) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा देश में सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें पशुपालन के प्रति प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 10) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा प्रत्येक राज्य में कार्यरत प्रवासी कामगारों से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 2.44 बजे

24. सरकारी विधेयक - पारित

- (एक) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024, राज्य सभा द्वारा यथापारित।
- (दो) संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

आबंटित समय: 1 घंटा
लिया गया समय : 2 घंटे

डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा श्री अर्जुन मुंडा की ओर से उपरोक्त विधेयकों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
2. #श्री धर्मेन्द्र प्रधान (हस्तक्षेप किया)
3. डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस.
4. प्रो. सौगत राय
5. श्री एन.रेड्डप्प
6. श्री रमेश चन्द्र माझी
7. श्री गिरीश चन्द्र
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री तापिर गाव
10. श्री अब्दुल खालेक
11. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
12. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
13. श्री के. नवासखनी
14. श्री एस. मुनिस्वामी

15. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
16. श्री विनसेंट एच. पाला

डॉ. भारती प्रवीण पवार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

(दो) डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

पहली और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1 स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

अपराहन 4.45 बजे

(तीन) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024, राज्य सभा द्वारा यथापारित।

आबंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय : 2 घंटा 56 मिनट

श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री बी. मणिककम टैगोर
2. श्री शंकर लालवानी
3. श्री डी. एम. कथीर आनन्द
4. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
5. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ
6. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
7. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

8. श्री सुनील कुमार
9. श्री अनुभव मोहंती
10. श्री रामशिरोमणि वर्मा
11. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
12. श्री गौरव गोगोई
13. श्री गणेश सिंह
14. श्री विनायक भाऊराव राऊत
15. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
16. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
17. श्री के. नवासखनी
18. डॉ. सत्यपाल सिंह
19. श्री गुरजीत सिंह औजला
20. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी
21. श्री निहाल चन्द चौहान

श्री भूपेन्द्र यादव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 4 और 5 स्वीकृत हुए।

खण्ड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

खण्ड 8 और 9 स्वीकृत हुए।

खण्ड 10 और 11 स्वीकृत हुए।

खण्ड 12 से 14 स्वीकृत हुए।

खण्ड 15 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

सायं 7.41 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 / 20 माघ, 1945 (शक)

संख्या 273

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री हरमोहन धवन, सदस्य, नौवीं लोक सभा; और श्रीमती रुबाब सईदा, सदस्य, चौदहवीं लोक सभा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण, दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 106 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 107 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुम्बई और लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुम्बई, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुम्बई और लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुम्बई, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 73 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) मुर्मूगांव पत्तन के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड (बैठकें और कार्य का संचालन) विनियम, 2023, जो दिनांक 20 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. जीएडी/एमपीए/आरईजीएस//001/2023(ई), 20 दिसम्बर में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 4 जनवरी, 2024 की अधिसूचना सं. फा.सं. जीएडी/एमपीए/आरईजीएस//001/2023 में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) मुर्मूगांव पत्तन प्राधिकरण (स्टीवडोरिंग एंड शोर हैंडलिंग) विनियम, 2023, जो दिनांक 9 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं. जीएडी/लीगल-अमेंड/23/2023 में प्रकाशित हुए थे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 435(अ) जो दिनांक 14 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 938(अ) जो दिनांक 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वन विहार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 1173(अ) जो दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तौडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 1191(अ) जो दिनांक 17 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (पांच) का.आ. 6212(अ) जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जमवारामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 6319(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बन्ध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (सात) का.आ. 1220(अ) जो दिनांक 8 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

- (आठ) का.आ. 2606(अ) जो दिनांक 19 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (नौ) का.आ. 107(अ) जो दिनांक 7 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।
- (दस) का.आ. 814(अ) जो दिनांक 21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन को अधिसूचित किया गया है।
- (ग्यारह) का.आ. 2631(अ) जो दिनांक 6 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा जयसामंद वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (बारह) का.आ. 4047(अ) जो दिनांक 11 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (तेरह) का.आ. 4268(अ) जो दिनांक 27 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व (एमएचटीआर) पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (चौदह) का.आ. 1717(अ) जो दिनांक 30 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बस्सी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (पंद्रह) का.आ. 1929(अ) जो दिनांक 18 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बन्ध बारेठा वन्यजीव अभयारण्य

पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।

- (सोलह) का.आ. 3683(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भैनसोरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (सत्रह) का.आ. 4668(अ) जो दिनांक 3 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।
- (अठारह) का.आ. 3142(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वन विहार वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।
- (उन्नीस) का.आ. 4843(अ) जो दिनांक 8 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय-संवेदी क्षेत्र में संशोधन अधिसूचित किया गया है।
- (बीस) का.आ. 5236(अ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1260(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कीस) का.आ. 2819(अ) जो दिनांक 21 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 421(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बाईस) का.आ. 3515(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1257(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तेईस) का.आ. 2818(अ) जो दिनांक 28 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2561(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (चौबीस) का.आ. 5313(अ) जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1259(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) का.आ. 5316(अ) जो दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1258(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छब्बीस) का.आ. 5237(अ) जो दिनांक 10 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2364(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्ताईस) का.आ. 4422(अ) जो दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2483(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अट्ठाईस) का.आ. 5702(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 608(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनतीस) का.आ. 3513(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 221(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीस) का.आ. 3514(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ. 607(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (इकतीस) का.आ. 6014(अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या का.आ. 652(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बत्तीस) का.आ. 4421(अ) जो दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1811(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तैंतीस) का.आ. 4949(अ) जो दिनांक 16 नवम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2166(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौतीस) का.आ. 2173(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (पैंतीस) का.आ. 2172(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बासीं रोडोडेंड्रोन अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (छत्तीस) का.आ. 2171(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा फैम्बोंगलो वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (सैंतीस) का.आ. 2170(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मेनम वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (अड़तीस) का.आ. 2169(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा शिंगबा रोडेंड्रोन अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (उनतालीस) का.आ. 2167(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कीटम पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

- (चालीस) का.आ. 2168(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्यॉगनोसला अल्पाइन अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (इकतालीस) का.आ. 2166(अ) जो दिनांक 27 अगस्त, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कंचनजंघा पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (बयालीस) का.आ. 5693(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा फैम्बॉगलो वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (तैंतालीस) का.आ. 5694(अ) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कीटम पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (चवालीस) का.आ. 3516(अ) जो दिनांक 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (पैंतालीस) का.आ. 4749(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा शिंगबा रोडेंड्रोन अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (छियालीस) का.आ. 4748(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा क्यॉगनोसला अल्पाइन अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (सैंतालीस) का.आ. 1055(अ) जो दिनांक 11 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर मोती बाघ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (अड़तालीस) का.आ. 2277(अ) जो दिनांक 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर बुन्नेरहेरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

- (उनचास) का.आ. 2275(अ) जो तथा दिनांक 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर गुरदियालपुरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (पचास) का.आ. 2483(अ) जो दिनांक 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर भदसों वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (इक्यावन) का.आ. 2480(अ) जो दिनांक 21 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर दोसांझ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (बावन) का.आ. 2638(अ) जो दिनांक 5 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (तिरपन) का.आ. 3313(अ) जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर ऐशवान वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (चौवन) का.आ. 3597(अ) जो दिनांक 30 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा टखनी-रेहमापुर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (पचपन) का.आ. 4204(अ) जो दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कथलौर-कुशलिया वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (छप्पन) का.आ. 350(अ) जो दिनांक 6 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर महस वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (सतावन) का.आ. 839(अ) जो दिनांक 16 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा झांझर-बचौली वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।

- (अठारवण) का.आ. 840(अ) जो दिनांक 16 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नांगल वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (उनसठ) का.आ. 1568(अ) जो दिनांक 15 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरिके वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (साठ) का.आ. 4446(अ) जो दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर गुरदियालपुरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (इकसठ) का.आ. 3144(अ) जो दिनांक 14 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बीर मोती बाघ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी क्षेत्र को अधिसूचित किया गया है।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की धारा 7क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.756(अ) जो दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 के उपबंध, जहां तक वे लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 की क्रम सं. 28 और अनुसूची में तत्संबंधी प्रविष्टियों से संबंधित हैं, प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वन्य जीव (संरक्षण) नमूनों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम, 2023 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5408(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 81(अ) जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4751(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 167 के अंतर्गत गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (धार्मिक शिक्षक), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2023 जो दिनांक 6 जनवरी, 2024 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 201 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 913(अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'कटिंग, मेकिंग या वेल्डिंग के लिए उपयोग की जाने वाली औद्योगिक लेजर मशीनों' पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, डीजीटीआर द्वारा जारी नए अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 915(अ) जो दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और ओमान से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'कम से कम एक तरफ लेमिनेशन के साथ जिप्सम बोर्ड/टाइल्स' पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, डीजीटीआर की सिफारिश पर पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 918(अ) जो दिनांक 27 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'व्हील लोडर' पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, डीजीटीआर द्वारा जारी नए अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 928(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 782(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पांच) सा.का.नि. 41(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'मेटा फेनिलीन डायमाइन' पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को, डीजीटीआर द्वारा जारी सनसेट रिव्यू अंतिम निष्कर्षों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 904(अ) जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 734(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 909(अ) जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 328(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 925(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 929(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 904(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 40(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 1(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सा.का.नि. 2(अ) जो दिनांक 1 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 42(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 11(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 666(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) संघ राज्य-क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 12(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 30, 30क, 41,41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उप-धारा (3) और धारा 158 की धारा उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 157 के अंतर्गत सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 923(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ.5492(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) अधिसूचना संख्या 01/2024-सी.शु.(एन.टी.), दिनांक 4 जनवरी, 2024 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ.177(अ) जो दिनांक 15 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) अधिसूचना संख्या 04/2024-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 18 जनवरी, 2024 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) अधिसूचना संख्या 90/2023-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का.आ.5350(अ) जो दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सात) अधिसूचना संख्या 92/2023-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) अधिसूचना संख्या 93/2023-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 जिसके द्वारा आयातित और निर्यातित माल के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की विनिमय दर को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (सातवां संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/161 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2023 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2023/162 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ((वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2023 जो दिनांक 5 जनवरी, 2024 की अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी- एनआरओ/जीएन/2024/163 में प्रकाशित हुए थे।
- (9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) आयकर संशोधन (28वां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.898(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) आयकर संशोधन (29वां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.900(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) आयकर संशोधन (30वां संशोधन) नियम, 2023 जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.908(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (10) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 10(अ) जो दिनांक 3 जनवरी, 2024 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का.आ. 1(अ) जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नई दिल्ली में माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में गठित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (11) अधिसूचना संख्या फा.सं.370142/43/2023-टीपीएल, दिनांक 28 दिसंबर 2023 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके अंतर्गत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ण के अंतर्गत उप-धारा (4) के दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया गया है।
- (12) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालय/विभाग-(2022 का संख्यांक 4)-संघ सरकार (निष्पादन लेखापरीक्षा)।
- (दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (सिविल)- केंद्रीय स्वायत्तशासी निकाय-(2023 का संख्यांक 25)।
- (तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2022-2023 के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार-रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।

- (13) (एक) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, यूनीवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ, यूनीवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

- (1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) अधिसूचना संख्या (एन-12011/01/2023-पीएंडडी) नई दिल्ली जो दिनांक 12 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के 01.07.2022 से 30.06.2024 तक की अवधि के लिए विस्तार को अधिसूचित किया गया है।

- (दो) अधिसूचना संख्या यू-11/13/2/2019-मेडिकल । जो दिनांक 13 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रयोक्ता शुल्क की दर और अन्य विवरणों को अधिसूचित किया गया है क्योंकि केन्द्र सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अथवा कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों में अल्प उपयोग में लाए जा रही चिकित्सा सेवाओं का आयुष्मान भारत/प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों द्वारा कतिपय शर्तों के अध्यक्षीन अन्य लाभार्थियों के रूप में लाभ उठाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।
- (तीन) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2016-पीएंडडी जो दिनांक 15 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में आशोधन, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 06.09.2016 को आयोजित 169वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 26.05.2005 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2019-पीएंडडी जो दिनांक 22 जुलाई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 73घ में उल्लिखित योजना के प्रयोक्ता प्रभारों की दर और अन्य ब्यौरों को अधिसूचित किया गया है।
- (पाँच) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2016-पीएंडडी जो दिनांक 2 दिसंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना में कतिपय आशोधनों को अधिसूचित किया गया है।
- (छह) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी और सेवा की शर्तों) विनियम, 2023 जो दिनांक 19 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेड-24/14/1/2020-डीपीसी(ई.आई.) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) अधिसूचना संख्या एन-12/13/1-2019-पीएंडडी जो दिनांक 16 नवंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ईएसआईसी अधिकारियों को भारत में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में कानूनी मुकदमा दायर करने के लिए अधिकृत करने हेतु अधिसूचित किया गया है।।
- (आठ) का. आ. 2059(अ) जो दिनांक 24 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 की अधिसूचना

सं. का.आ.615(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (नौ) का. आ. 3215(अ) जो दिनांक 2 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.615(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) अधिसूचना संख्या एनसीटीई-सीडीएन016(13)/19/2021-सीडीएन-एचक्यू, जो दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की चार क्षेत्रीय समितियों के लिए सदस्यों को नामित किया गया है।
- (2) (एक) समग्र शिक्षा (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), महाराष्ट्र के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद), महाराष्ट्र के वर्ष 2021-

2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) समग्र शिक्षा (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी), हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा (हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी) के वर्ष 2022-2023 के वर्ष कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस नगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक)

ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद, प्रयागराज के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ताडेपल्लीगुडेम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ताडेपल्लीगुडेम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर के वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची के वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2022-23 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) झारखण्ड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राँची के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए -केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) - चुनिंदा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम (2023 का संख्यांक 15) अनुपालन लेखापरीक्षा संबंधी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:

- (1) (एक) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:

- (1) (एक) केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2022-2023 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2022-2023 तक के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:

- (1) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 से 2022-2023 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (2) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद के वर्ष 2006-2007 से 2022-2023 तक के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

- (एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2024 पर लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।
 (दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित विनियोग विधेयक, 2024 पर लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।
 (तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 पर लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

- (चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2024 पर लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (पांच) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा यथापारित वित्त विधेयक, 2024 पर लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

6. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. संघमित्रा मौर्य ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय आयुष मिशन की समीक्षा के बारे में 156वां प्रतिवेदन।
- (2) भारत में आयुर्विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में 157वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.07 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:-

- 1) श्री थिरुनवुक्करासर द्वारा तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने तथा राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किए जाने के बारे में।
- 2) श्री श्याम सिंह यादव द्वारा सहारा समूह में धन निवेश करने वाले लोगों का धन वापस किये जाने के बारे में।

- 3) श्री अब्दुल खालेक द्वारा धुबरी, असम में माचिस फैक्ट्री के पुनरुद्धार के बारे में।
- 4) श्री के. रघु राम कृष्ण राजू द्वारा देश में झींगे की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक समिति गठित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- 5) श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बारे में।
- 6) श्री अनुभव मोहंती द्वारा ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में यात्री रेल सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 12.08 बजे

8. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने आज की पुनरीक्षित कार्य-सूची की मद संख्या 24 पर सूचीबद्ध नियम 342 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय आवंटित करने की घोषणा की।

अपराहन 12.09 बजे

9. नियम 342 के अधीन प्रस्ताव

आबंटित समय: 4 घंटे

@लिया गया समय : 7 घंटा 25 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि यह सभा 8 फरवरी, 2024 को सभा पटल पर रखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में श्वेत पत्र पर विचार करे”।

निम्नलिखित सदस्यों द्वारा तीन स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किए गए:-

1. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

@ अपराहन 2.31 बजे से अपराहन 2.32 तक, सभा में गणपूर्ति नहीं थी।

2. प्रो. सौगत राय

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री निशिकांत दुबे
3. डॉ. वीरास्वामी कलानिधि
4. प्रो. सौगत राय
5. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
6. श्री गिरीश चन्द्र
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
9. श्री रवि शंकर प्रसाद
10. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
11. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
12. §श्री अजय भट्ट (हस्तक्षेप किया)
13. श्री एस. वेंकटेशन
14. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
15. श्री जयंत सिन्हा
16. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
17. श्री असादुद्दीन ओवैसी
18. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
19. डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस.
20. श्री अनुभव मोहंती
21. श्रीमती सुप्रिया सुले
22. श्रीमती सुनीता दुग्गल
23. श्री विजय कुमार हांसदाक
24. डॉ. संजय जायसवाल
25. श्रीमती नवनित रवि राणा

§ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री

26. श्री रमेश बिधूड़ी
27. श्री अधीर रंजन चौधरी
28. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन और प्रो. सौगत राय द्वारा पेश किए गए स्थानापन्न प्रस्तावों को मतदान के लिए लिया गया और वे अस्वीकृत हुए।

सायं 7.35 बजे

(लोक सभा शनिवार, 10 फरवरी, 2024 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1 (कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शनिवार, 10 फरवरी, 2024 / 21 माघ, 1945 (शक)

संख्या 274

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, गुरुग्राम के वर्ष 2022-2023 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

- (एक) कि राज्य सभा 9 फरवरी, 2024 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (दो) कि राज्य सभा 9 फरवरी, 2024 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (तीन) कि राज्य सभा 9 फरवरी, 2024 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (चार) कि राज्य सभा 9 फरवरी, 2024 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2024 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

पूर्वाहन 11.04 बजे

3. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय: 2 घंटे
लिया गया समय : 4 घंटे 44 मिनट

श्री सत्य पाल सिंह ने ऐतिहासिक श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री गौरव गोगोई
2. साध्वी निरंजन ज्योति
3. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति
4. श्री रामप्रीत मंडल
5. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
6. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
7. श्री मलूक नागर
8. श्री हंस राज हंस
9. श्री अरविंद सावंत
10. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
11. श्री सुनील कुमार पिन्टू
12. श्री राहुल रमेश शेवाले
13. डॉ. उमेश जी. जाधव
14. श्री के. राम मोहन नायडू

15. श्री असादुद्दीन ओवैसी
16. *श्री अमित शाह
17. श्री बी. बी. पाटील
18. श्री नव कुमार सरनीया
19. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
20. श्री गिरीश चन्द्र
21. श्री अनुभव मोहंती
22. श्रीमती नवनित रवि राणा
23. श्रीमती संगीता आज़ाद
24. **श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल
25. श्री मोहन मंडावी

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

अपराहन 3.39 बजे

4. %अध्यक्ष द्वारा संबोधन

अध्यक्ष ने नियम 360 के अधीन सभा को संबोधित किया।

* गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री

** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

% मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 3.48 बजे

5. विदाई संबंधी उल्लेख

निम्नलिखित सदस्यों ने 17वीं लोक सभा के पंद्रहवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किए:-

1. श्रीमती सुप्रिया सुले
2. *श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल
3. श्री रितेश पाण्डेय
4. श्री प्रिंस राज
5. श्री राहुल रमेश शेवाले
6. श्री अनुभव मोहंती
7. श्री सुनील कुमार पिन्दू
8. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
9. श्री वीरेन्द्र सिंह
10. श्री बी. बी. पाटील
11. श्री गिरीश चन्द्र
12. श्री पिनाकी मिश्रा
13. कुंवर दानिश अली
14. श्री हाजी फजलुर रहमान
15. श्री भर्तृहरि महताब
16. श्री मलूक नागर
17. श्रीमती नवनित रवि राणा

* वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

18. श्री अधीर रंजन चौधरी
19. श्री नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने विदाई संबंधी उल्लेख[%] किया।

सायं 6.09 बजे

6. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

सायं 6.10 बजे

(लोक सभा सायं 6.10 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

[%] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।